

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016—माघ 23, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. ई-1-32-2016-5-एक.—श्री अशोक कुमार शर्मा, भाप्रसे (2004), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अप्र आबकारी आयुक्त, ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-564-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2016 द्वारा 1 से 9 फरवरी 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 जनवरी से 9 फरवरी 2016 तक सोलह दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. आदेश दिनांक 5 जनवरी 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत।

क्र. ई-5-781-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस., आयुक्त, सागर संभाग, सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 11 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित।

2. दिनांक 31 दिसम्बर 2015 से दिनांक 8 जनवरी 2016 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर)।

(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएएस, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री केदारलाल शर्मा की अवकाश अवधि में कलेक्टर, टीकमगढ़ का प्रभार श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे (2010) अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री केदारलाल शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय कटेसरिया, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-953-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003), आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश अल्प संख्यक आयोग को दिनांक 21 जनवरी से 4 फरवरी 2016 तक पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश अल्प संख्यक आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. ई-1-03-2016-5-एक.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3(1) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान पे बैंड (रुपये 15600—39100+7600) स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम
(1)	(2)
1	श्री श्रीमन शुक्ला
2	श्री नागरगोजे मदन विभीषण

(1)	(2)
3	श्रीमती स्वाति मीना नायक
4	श्री भोंडवे संकेत शांताराम
5	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह
6	श्री शशांक मिश्रा

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2016 में मिड केरियर ट्रेनिंग फेज-III) कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा.

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस., अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 18 से 24 फरवरी 2016 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 6 से 15 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-978-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014), सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 18 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014), को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र. ई-5-842-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.पी. एस. सलूजा, आयएएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 1 से 5 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री एस.पी. एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-963-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) कु. रजनी सिंह, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला सागर को दिनांक 15 फरवरी से 11 मार्च 2016 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 फरवरी 2016 एवं 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर कु. रजनी सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में कु. रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि कु. रजनी सिंह, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 8 से 15 जनवरी 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्र. ई-1-49-2016-5-एक.—श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993), आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) श्री प्रकाश उन्हाले, भावसे, अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्र. ई-5-885-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को दिनांक 1 से 6 फरवरी तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 एवं 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण राठी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तरुण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण राठी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. एफ-5-21-2015-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री के. के. त्रिवेदी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक 8-12-2015	01	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. ई-5-462-आयएस-लीव-5-एक.—श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 18 से 28 जनवरी 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ 1(ए) 196-91-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 1 से 12 फरवरी 2016 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के विज्ञापित अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है एवं अवकाश अवधि में श्रीमती शंकर, भापुसे का चालू कार्य श्री ए. के. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है.

(2) उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. की

अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ए. के. सिंह, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. बाथम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ-1(ए)27-94-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 25 से 30 जनवरी 2016 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 एवं 31 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)33-97-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार सिंह भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्र. एफ-1(ए)127-04-ब-2-दो.—श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 6 से 12 फरवरी 2016 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में सपरिवार खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति तथा दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री डी. एस. कोरबू	स्वयं
2	श्रीमती शोभा	पत्नी
3	दीपेश	पुत्र
4	अभिषेक	पुत्र

(2) अवकाश अवधि में श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे., का चालू कार्य श्री आर. एस. कौल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे., को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे., के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. एफ-1(ए)61-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उप महानिरीक्षक (पी.टी.आर.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 30 जनवरी 2016 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री संतोष महतो, रापुसे, पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पी.टी.आर.आई.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप महानिरीक्षक (पी.टी.आर.आई.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)331-85-ब-2-दो.—श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 4 से 6 फरवरी 2016 तक कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री बी. मारिया कुमार, भा.पु.से., विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रीना मित्रा, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., को अवकाश

वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बने रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 40), राज्य शासन, श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह पिता वीरेश कुमार सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर, 1987 है।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 28), राज्य शासन, श्री सचिन जैन पिता श्री विमल कुमार जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 45), राज्य शासन, श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री मनीराम शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना है। उसकी जन्मतिथि 6 अप्रैल 1983 है।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

फा. क्र. 3(ए)05-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 03), राज्य शासन, श्री जोगिन्द्र सिंह पिता श्री बलवीर सिंह को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 10 फरवरी 1970 है.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2016

फा. क्र. 3(ए)05-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 08), राज्य शासन, श्री सुशील कुमार पिता श्री गंगाराम त्यागी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने पद अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर जिनका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 1973 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 20), राज्य शासन, सुश्री रुचि श्रीवास्तव पिता श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सोनभद्र (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 6 मई 1988 है.

फा. क्र. 3(ए)05-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 04), राज्य शासन, श्री रईस खान आत्मज श्री कल्लू खान को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 21 जून 1977 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 51), राज्य शासन, श्री अंशुमान धुन्ना पिता श्री अशोक धुन्ना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 13 सितम्बर, 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 51), राज्य शासन, श्रीमती वंदना सिंह पति श्री रवीन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है. उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर, 1988 है.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

फा. क्र. 3(ए)05-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 01), राज्य शासन, श्री सुनील कुमार पिता श्री जसवंत सिंह को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 18 मई 1976 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 15), राज्य शासन, सुश्री दिव्या चौधरी पिता श्री अजीत सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 25 जून 1989 है.

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 16), राज्य शासन, श्रीमती गुंजन पाराशर पति श्री विजय कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अशोक नगर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1984 है।

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 23), राज्य शासन, सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल पिता श्री गजेन्द्र सिंह बघेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल है। उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1989 है।

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 42), राज्य शासन, श्री सुरेश यादव पिता श्री सभापति यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1987 है।

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 54), राज्य शासन, श्री मनीष कुमार पारीक पिता श्री उमाशंकर पारीक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जयपुर (राजस्थान) है। उसकी जन्मतिथि 30 जून 1980 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्र. एफ. 5-2-2013-बत्तीस.—भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 78(अ) दिनांक 8 जनवरी 2016 के द्वारा दूसरी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) मध्यप्रदेश का गठन किया गया है जिसमें निम्नानुसार सदस्य समाविष्ट हैं:—

- | | |
|--|------------|
| 1. डॉ. नवीन चन्द्र,
मकान नं. 246, सेक्टर 9-बी,
साकेत नगर, भोपाल (म. प्र.). | अध्यक्ष |
| 2. श्री अनिल कुमार शर्मा,
50, न्यू एमपी/एमएलए क्वार्टर्स,
डिपो के निकट, जवाहर चौक,
केनरा बैंक के पीछे, भद्रभदा रोड,
भोपाल (म. प्र.). | सदस्य |
| 3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा,
39, रघुनाथ नगर, शाहपुर थाना के
निकट, भोपाल (म. प्र.). | सदस्य |
| 4. डॉ. सोनल मेहता,
209 बी, शहनाई रेजिडेंसी 2,
बंगाली स्कायर, कनाडिया रोड,
इन्दौर (म. प्र.). | सदस्य |
| 5. डॉ. मोहम्मद अकरम खान,
प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर,
एडवांस्ड मेटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च
इंस्टीट्यूट, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज
नाका, भोपाल (म. प्र.). | सदस्य |
| 6. श्री मोहम्मद कसम खान,
प्रधान वैज्ञानिक, रिगालिया हार्डट्स,
अहमदाबाद पैलेस रोड, कोहएफिजा,
भोपाल (म. प्र.). | सदस्य |
| 7. श्री प्रशांत श्रीवास्तव,
डूप्लेक्स-145, शीतल मेगा सिटी,
मंडीदीप जिला रायसेन (म. प्र.). | सदस्य |
| 8. सदस्य सचिव,
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. | सदस्य-सचिव |

(2) उपरोक्तानुसार गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

(3) उक्त समिति के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 78(अ), दिनांक 8 जनवरी 2016 (समय-समय पर किये गये संशोधन सहित) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।

(4) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 78 (अ), दिनांक 8 जनवरी 2016 की कंडिका-7 के अनुसार उक्त समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/भत्ते/सुविधायें मध्यप्रदेश शासन, तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4-2006-32, दिनांक 27 फरवरी 2008 (समय-समय पर किये गये संशोधन संहित) के अनुसार देय होंगे.

(5) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) मध्यप्रदेश के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को अधिकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

सूचना

क्र. एफ-3-85-बत्तीस-2009.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खुरई निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2021, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खुरई, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुद्गल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ-3-85-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-85-2009-बत्तीस, दिनांक 28 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुद्गल, उपसचिव.

Bhopal, the 28th January 2016

NOTICE

No. F-3-85-2009-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh

Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Khurai (Planning Area) 2021 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Sagar Division, Sagar, Madhya Pradesh.
2. Collector, Sagar Division Sagar, Madhya Pradesh.
3. C.M.O. Municipal Council, Khurai Madhya Pradesh.
4. Joint. Director, Town & Country Planning Distt. Office Sagar Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
S. K. MUDGAL, Dy. Secy.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ-11-29-2004-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए)(ई)(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. हितेश बाजपेयी, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

(2) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के दो वर्ष के लिए प्रभावशील होगी.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ-11-29-2004-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए)(ई)(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवराज सिंह परिहार, ग्राम-खण्डेल, पोस्ट-पेडमी, तह. इन्दौर, जिला, इन्दौर पिन कोड-452020 को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

(2) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के दो वर्ष के लिए प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

एफ 3-10-2011-छः.—धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कार्य को सुचारू रूप से संचालन एवं सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन भोपाल में:—

- (1) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत मंदिरों के जीर्णोद्धार, धर्मशाला निर्माण, सेवादारों का मानदेय आदि महत्वपूर्ण कार्यों के विकास एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व गठित करता है.
- (2) उक्त कार्यालय के लिये विभागीय संक्षेपिका दिनांक 8-12-2015 की कण्डिका 7 में वर्णित अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय, संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना हेतु निम्न सेटअट के लिये 15 नवीन पद सृजित कर, उनकी पूर्ति कर्मचारियों की सेवाएं अंतरित/संविलियन/प्रतिनियुक्ति से की जावे.

क्र. (1)	पदनाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान (4)
1	संचालक	01	37400-67000+ग्रेड पे 10000
2	संयुक्त संचालक	01	15600—39100+ग्रेड पे 7600
3	उप संचालक	01	15600—39100+ग्रेड पे 6600
4	सहायक संचालक	02	9300—34800+ग्रेड पे 4200
5	सहायक यंत्री	01	15600—39100+ग्रेड पे 5400
6	लेखाधिकारी	01	15600—39100+ग्रेड पे 5400
7	अधीक्षक	01	9300—34800+ग्रेड पे 3600
8	उपयंत्री	01	9300—34800+ग्रेड पे 3200
9	सहायक ग्रेड-एक	01	5200—20200+ग्रेड पे 2800
10	सहायक ग्रेड-दो	01	5200—20200+ग्रेड पे 2400
11	सहायक ग्रेड-तीन	02	5200—20200+ग्रेड पे 1900
12	स्टेनोग्राफर	01	9300—34800+ग्रेड पे 3600
13	स्टेनो टायपिस्ट	01	5200—20200+ग्रेड पे 1900

(3) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का 01 पद एवं भृत्य के 06 पद इस प्रकार कुल 07 पद सृजित कर इनकी पूर्ति आऊट सोर्सिंग से की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. 131.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम मुत्तौर, प.ह.नं. 25 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-168.696 हेक्टेयर.	ग्राम-झापूढाना प.ह.नं.-25.

क्र. 132.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम लिंगा, प.ह.नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-318.864 हेक्टेयर.	ग्राम-बटकीढाना प.ह.नं.-36.

क्र. 133.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम सेहराढाना, प.ह.नं. 17 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-596.210 हेक्टेयर.	ग्राम-चटनी प.ह.नं.-17.

क्र. 134.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2 (1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(1)	(2)
ग्राम घटामाली प.ह.नं. 39 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-300.741 हेक्टेयर.	ग्राम-मरकाखेडा प.ह.नं.-39.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. 258.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ-1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ-2 में दर्शित नाम से तहसील शमशाबाद जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

स्तम्भ-1 भू-भाग का विवरण				स्तम्भ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर	
क्र.	मूल ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर	पृथक् किया गया क्षेत्रफल	राजस्व ग्राम का नाम	हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
1	पिपलधार	19	648.054 531.036	पट्टन लाड़पुर	19 19

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

प्र.क्र. 01-अ 82-2013-2014.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम-बाँई, तहसील-नसरुल्लागंज
अनुसूची
बगवाड़ा वितरिका की बाँईबोड़ी उपनहर

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	दिनेन्द्र हिस्सा 5.86, नरेन्द्र हिस्सा 7.94, सुरेन्द्र हिस्सा 7.53 पिता बंशीधर जाति ब्राह्मण.	8/1,9	8.516	0.000	8.516	0.467	0.000	0.467
2	शिवनारायण आ. रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राह्मण.	6	6.349	0.000	6.349	0.180	0.000	0.180
3	रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र आ. मुरलीधर हिस्सा 1/2, दिनेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पिता बंशीधर हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण.	17	6.143	0.000	6.143	0.300	0.000	0.300
योग . .		29	3.767	0.000	3.767	0.205	0.000	0.205
4	दिनेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पिता बंशीधर हिस्सा 1/2 व रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र आ. मुरलीधर हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण.	11, 12, 13 28/1/3	20.523	0.000	20.523	0.154	0.000	0.154
5	मनोहरलाल आ. रामगोपाल जाति ब्राह्मण.	38, 43/3	5.666	0.000	5.666	0.134	0.000	0.134
6	शैलेन्द्र कुमार आ. वल्लभदास जाति ब्राह्मण.	38, 43/4	1.793	0.000	1.793	0.125	0.000	0.125
7	केशवराज सिंह पुत्र जयराजसिंह जाति राजपूत.	44/1/1	4.480	0.000	4.480	0.189	0.000	0.189
8	दीपकराज पुत्र अजयराज जाति राजपूत.	44/1/2 44/2/1	2.772 1.942	0.000 0.000	2.772 1.942	1.145 0.049	0.000 0.000	1.145 0.049
योग . .		10	61.951	0.000	61.951	1.948	0.000	1.948

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.
- (3) समुचित सरकारी की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र.क्र. 06-अ 82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

ग्राम-गोपालपुर, तहसील-नसरुल्लागंज अनुसूची गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-2

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नितिन कुमार आ. अनिल कुमार जाति अहीर नि. ग्राम भू-स्वामी.	49/1/3/4/1/3 2, 50/2/5.	0.526	0.000	0.526	0.060	0.000	0.060
2	अनिल कुमार आ. गुलाबसिंह जाति अहीर नि. ग्राम भू स्वामी.	49/1/1/2/3/4 ख. 50/2.	0.971	0.000	0.971	0.097	0.000	0.097
3	राधेश्याम आ. कुंजीलाल जाति लखेरा नि. ग्राम भू-स्वामी.	49/1/1/2/3/4 क, 50/2	0.000	1.011	1.011	0.000	0.049	0.049
4	गोपाल आ. राधेश्याम जाति लखेरा नि. ग्राम भू स्वामी.	51/3/2	2.030	0.000	2.030	0.137	0.000	0.137
5	रामकुमार आ. राधेश्याम जाति लखेरा नि. ग्राम भू स्वामी.	51/3/1	1.855	0.000	1.855	0.097	0.000	0.097
6	मनोज आ. रमेशचन्द्र जाति लखेरा नि. ग्राम भू-स्वामी.	51/2	0.255	0.000	0.255	0.020	0.000	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	किरण बाई पत्नि राधेश्याम जाति लखेरा नि. ग्राम भू-स्वामी.	51/1 52/1/1, 289/51, 313/51.	1.214 1.214	0.000 0.000	1.214 1.214	0.048 0.125	0.000 0.000	0.048 0.125
8	बालकृष्ण आ. रमेशचन्द्र जाति लखेरा नि. ग्राम भू स्वामी.	52/1/1/2क, 289/51, 313/51	2.436	0.000	2.436	0.065	0.000	0.065
9	सुगनाबाई पत्नि मोतीलाल जाति जाट नि. ग्राम भू स्वामी.	66, 67, 68, 274/68/1.	3.093	0.000	3.093	0.073	0.000	0.073
	योग . .	10	13.594	1.011	14.605	0.722	0.049	0.771

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भू-अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 86-भू-अर्जन-2015-16-रा.प्र.क्र. 5अ-82-15-16.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में टोरी तालाब परियोजना अन्तर्गत वन परिक्षेत्र वरला के वनखण्ड ग्राम हिंगवा, तहसील-वरला, जिला-बड़वानी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, वन अधिकार पत्र क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

(2) अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक

प्रयोजनार्थ के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम, हििंगवा, तहसील वरला, जिला बड़वानी, प्रभावित रकबा 46.976 हेक्टर

स. क्रमांक	ग्राम का नाम	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में व परिसम्पत्तियों का विवरण	
			निजी परिसम्पत्तियां	शासकीय परिसम्पत्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हििंगवा	46.976	पक्के मकान-6 कच्चे मकान-8, कच्चे टप्पर-5 पशुघर-3, कुआं कच्चे-8, ट्यूबवेल-1 पानी की होज-2, ट्रेक्टर शेड-1, वृक्ष-46, तथा बासभिरा-37	शा.प्रा.मा.वि. भवन एवं अतिरिक्त कक्ष तथा किचन शेड-1 सामुदायिक भवन-1 हैण्डपंप-1 आंगनवाड़ी भवन-1

अनुसूची (2)

ग्राम, हििंगवा, तहसील वरला, जिला बड़वानी, प्रभावित रकबा 46.976 हेक्टर

क्र.	वन अधिकार पत्र धारक कृषक का नाम	कक्ष क्रमांक	डूब प्रभावित रकबा हे. में.			अन्य परिसम्पत्तियां
			सिंचित	असिंचित	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शांतिलाल पिता करचंद	179	0.958	-	0.958	मकान कच्चा-1, टेमरू-1
		179	-	-	-	
	योग	02	0.958	-	0.958	
2	सुरसिंग सुड़िया बारेला	179	1.451	-	1.451	मकान कच्चा-1 पक्का-1 पशुधन-1 बासभिरा-5, महुआ-1
3	विजय पिता तानसिंग	179	2.322	-	2.322	आम-1, अंजन-1, मोहना-1, सलई-1
4	नितिन पिता लोहज्या बारेला	179	-	2.066	2.066	मकान कच्चा-1, पशुघर-1 कुआं कच्चा-1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	सेवाराम बिस्नन बारेला	179	-	0.830	0.830	-
		179	-	1.009	1.009	-
	योग . .	02	-	1.839	1.839	-
6	शिवदास देवचंद	179	-	0.216	0.216	कुआं कच्चा-1, बासभिर्भा-8.
7	कैलाश तोतीराम	179	-	0.202	0.202	बासभिर्भा-1
8	पुटिया कानजी बारेला	179	-	1.439	1.439	मकान कच्चा-1, कुआं कच्चा-1, बासभिर्भा-2.
9	राजबहादुर दरबार	179	1.000	0.264	1.264	-
10	अनिल दरबार बारेला	179	2.129	-	2.129	टेमरू-1
11	दरबार सुरभान	179	2.000	0.580	2.580	-
12	गारस्या गुंजार बारेला	179	-	-	-	-
		179	-	0.318	0.318	-
	योग . .	02	-	0.318	0.318	-
13	नरसिंग गुंजारिया	179	-	0.730	0.730	अंजन-2
14	हरसिंग केकड़िया	179	-	1.260	1.260	आम-2
15	जगन ठेमरया	179	-	0.830	0.830	-
		179	-	-	-	-
	योग . .	02	-	0.830	0.830	-
16	ईश्वरपिता हुकुमचंद बारेला	06	1.202	-	1.202	कलम-1, महुआ-1
17	कैलाश सुखलाल	06	-	0.582	0.582	-
18	मोतीराम बिसन	06	1.521	-	1.521	कुआं कच्चा-1, गुलर-1, कलम-1, चारोली-1, टेमरू-5.
19	चमारिया गुलसिंग	06	-	1.640	1.640	अंजन-1, टेमरू-2, घावड़ा-3, कलम-1.
20	लकड़ा सुरसिंग	06	-	0.961	0.061	पलास-6, साजोड़ा-1
21	भावला गुलसिंग	06	-	2.056	2.056	-
22	जाहरिया रूपसिंग	06	-	0.809	0.809	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	पांड्या भंगी	06	-	3.543	3.543	मकान कच्चा-1
24	लालसिंग सुखलाल	06	-	0.595	0.595	-
25	रमेश रूस्तम	06	-	0.869	0.869	-
26	राणा रूस्तम	06	-	1.037	1.037	-
		06	-	1.332	1.332	-
	योग	02	-	2.369	2.369	-
27	रूमालसिंग थानसिंग	182	-	3.613	3.613	बासभिरा-2
28	थानसिंग दला	182	-	1.000	1.000	कुआं कच्चा-1, बासभिरा-5.
29	जगन चमार	180	0.307	-	0.307	कुआं कच्चा-1, बेहड़ा-1, बासभिरा-2.
30	भुरू चमार बारेला	179	2.000	-	2.000	-
31	भंगी सुरसिंग बारेला	179	-	0.234	0.234	-
32	तानसिंग गिरधर	179	2.000	0.398	2.398	कुआं कच्चा-1, मकान पक्के-2, मकान कच्चा-1. पशुघर-1 द्यूबवेल-1 पानी का होज-1 आम-1, बासभिरा-5 सेमल-1, खेर-1 साजोड़ा-2.
1	हुकुमचंद पिता गिरधर	179	-	-	-	पक्का मकान-1 ट्रेक्टर शेंड-1
2	ईश्वर पिता हुकुमचन्द	179	-	-	-	पक्का मकान-1
3	माकीराम पिता मोहन्या	179	-	-	-	पक्का मकान-1
4	फुलसिंग पिता मनश्या	179	-	-	-	कच्चा टप्पर-1
5	लटू पिता नुरजी	179	-	-	-	कच्चा टप्पर-1
6	गिलदार पिता लटू	179	-	-	-	कच्चा टप्पर-1, पानी का होज-1.
7	सेकड़िया पिता नुरजी	179	-	-	-	कच्चा टप्पर-1
8	मोहन पिता मगलसिंग	179	-	-	-	कच्चा टप्पर-1
33	शोभाराम भलजी	180	-	0.153	0.153	-
34	भलजी मनस्या	180	-	0.699	0.699	बांस भिरा-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	गणपत गंजी	180	-	0.604	0.604	मकान कच्चा-2 कच्चा कुआ-1, आम-2, जामुन-1 ईमली-2, बासभिरा-1.
36	जगन सायमल	180	0.217	-	0.217	बासभिरा-4

शासकीय परिसम्पत्तियां

विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (आ.जाति कल्याण विभाग)	179	-	-	-	शा.प्रा.मा.वि. भवन एवं अतिरिक्त कक्ष तथा किचन शेड.
मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत सेंधवा.	179	-	-	-	सामुदायिक भवन
एस.डी.ओ. (पी.एच.ई.) विभाग सेंधवा.	179	-	-	-	हैण्डपम्प-1
एकीकृत बाल विकास विभाग वरला.	179	-	-	-	आंगनवाड़ी भवन-1
योग		17.107	29.869	46.976	

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—टोरी तालाब परियोजना हेतु.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन मण्डी, निर्वाचन अधिकारी, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. मण्डी-निर्वाचन शाखा.-2016-48.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति नलखेड़ा जिला आगर-मालवा के वार्ड क्रमांक 05 गुदरावन के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री शिवनारायण भिलाला	कृषक सदस्य	ग्राम गुदरावन, तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा.

डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. एफ 02-03-2010-एक-252.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री संजय मराठा, सहायक ग्रेड-1 को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान+ग्रेड पे रुपये 9,300—34,800+4,200 में पदोन्नत किया जाता है।

(2) श्री संजय मराठा को अनुभाग अधिकारी के पद पर दिनांक 16 मई 2013 से प्रोफार्मा पदोन्नति (काल्पनिक पदोन्नति) "कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत" के आधार पर की जाती है। श्री मराठा को वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता का लाभ प्राप्त होगा किन्तु इस अवधि का कोई एरियर्स देय नहीं होंगे।

(3) आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं। अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।

(4) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्र. एफ-1-7-15-रा.स.-यू.ए. 1-209.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6-15-रा.स.-यू.ए. 1-1447, दिनांक 4 दिसम्बर 2015 के द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कालांतर में संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7-15-रा.स.-यू.ए. 1-75, दिनांक 15 जनवरी 2016 के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने हेतु 06 सप्ताह की पूर्व निर्धारित समयावधि में 03 सप्ताह की वृद्धि की गई।

2. चूंकि समिति द्वारा नौ सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिए पूर्व निर्धारित 09 सप्ताह की समयावधि में 01 सप्ताह की और वृद्धि की गई है।

कुलाधिपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क०-2) की धारा 2 के खण्ड एस० एवं शासन के आदेश क० -2-(क)-15-99 बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क० एफ-2-(क)-09-08 -बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2015 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये सिंहस्थ 2016 के परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016 तक के लिए 51 अस्थाई पुलिस थाने बनाने हेतु

एक- नीचे दी सारणी के कालम (4) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर - (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है ।

दो- सारणी के कालम नंबर (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (1) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

सारणी

क्र.	पुलिस थाने का नाम / तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है	स्थान जहां अस्थाई थाने की स्थापना होना है।	अस्थाई थानों का क्षेत्र	पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
1	2	3	4	5
1	कालभैरव मंदिर तहसील व जिला उज्जैन	कालभैरव मंदिर के पूर्व प्लाट - 93	क्षिप्रा ब्रिज से मुख्य मार्ग को सम्मिलित करते हुये जेल तिराहे तक सम्पूर्ण मार्ग यहां से जेल के सामने से होते हुये काल भैरव मंदिर, काल भैरव घाट यहां से विक्रांत भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव घाट एवं ओखलेश्वर ब्रिज तक। ओखलेश्वर ब्रिज से मोजमखेडी मार्ग तक। इस थाने में काल भैरव मंदिर, काल भैरव घाट, विक्रांत भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव घाट मोजमखेडी मार्किंग एवं समस्त पार्किंग सम्मिलित है।	थाना भेरुगढ, तहसील व जिला उज्जैन
2	सिद्धवट तहसील व जिला उज्जैन	सिद्धवट मंदिर के पूर्व प्लाट - 50/3	उन्हेल नाका सम्मिलित करते हुये यहां से भैरवगढ थाने के सामने से नदी के किनारे तक, नदी के मध्य से मंगलनाथ ब्रिज तिराहे तक, (मंगलनाथ घाट के पश्चात) नदी के किनारे-किनारे क्षिप्रा ब्रिज जेल तिराहे तक। यहां से मुख्य मार्ग को छोड़ते हुये जेल तिराहा (कस्बा चौराहा) को सम्मिलित करते हुये समस्त भैरवगढ कस्बा और यहां से वापस उन्हेल नाका तक। इस थाने में स्थित सिद्धवट मंदिर, सिद्धवट घाट अखाडा क्षेत्र एवं पार्किंग स्थल भी सम्मिलित रहेंगे।	थाना भेरुगढ तहसील व जिला उज्जैन
3	के.डी पैलेस तहसील व जिला	सूर्य मंदिर के पास	उन्हेल नाका से सम्पूर्ण मार्ग को सम्मिलित करते हुये के.डी. पैलेस तक, कालियादेह गांव से होते हुये आउटर रिंग रोड तक। समस्त कालियादेह गांव, कालियादेह पैलेस, सूर्य मंदिर, बावन कुण्ड एवं अखाडा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये ग्राम	थाना भेरुगढ तहसील व जिला उज्जैन

	उज्जैन		आबूहाना से आउटर रिंग रोड तक। आउटर रिंग रोड, सोडंग, उन्हेल मार्ग से कालियादेह गांव मोड़ तक। इस थाने में 03 चैकिंग वे, के.डी. पैलेस, बावन कुण्ड, सूर्य मंदिर आदि महत्वपूर्ण स्थल रहेंगे।	
4	उन्हेल रोड़ से.टा. तहसील व जिला उज्जैन	उन्हेल रोड़ से.टा.	उन्हेल नाका से सम्पूर्ण उन्हेल रोड़ ग्राम चकरावदा तक आउटर रिंग रोड उन्हेल रोड़ से नईखेड़ी अम्बोदिया तक। इस थाने में सम्पूर्ण सेटेलार्इट टाउन, रामगढ़ टर्निंग चैकिंग वे, सोदंग पार्किंग आदि मुख्य क्षेत्र रहेंगे।	थाना भेरूगढ़ तहसील व जिला उज्जैन
5	गढ़कालिका तहसील व जिला उज्जैन	गढ़ कालिका के सामने प्लाट- 144/1	पीपलीनाका से सम्पूर्ण पीपलीनाका को सम्मिलित करते हुये क्षिप्रा नदी तक यहां से भर्तृहरी गुफा, गढ़कालिका, पीरमत्स्येन्द्रनाथ के समस्त मार्ग को सम्मिलित करते हुये नदी के किनारे ओखलेश्वर घाट को शामिल करते हुये क्षिप्रा नदी ब्रिज तक। क्षिप्रा नदी से मुख्य मार्ग को सम्मिलित करते हुये वीर सावरकर चौराहा (समस्त चौराहा) को शामिल करते हुये यहां से सीधे पीपलीनाका चौराहा। इस थाना क्षेत्र में भर्तृहरी गुफा, पीरमत्स्येन्द्रनाथ, गढ़कालिका, ओखलेश्वर घाट, विष्णु चतुष्टिका मंदिर वीरसावरकर चौराहा पार्किंग आदि मुख्य स्थल होंगे।	थाना भेरूगढ़ तहसील व जिला उज्जैन
6	सांदीपनी आश्रम तहसील व जिला उज्जैन	निर्वाणी अखाडे के पास प्लाट- 301	80 फीट चौड़े मार्ग को शामिल करते हुए मकोडिया आम खाक चौक मार्ग के किनारे होते हुए खाक चौक विष्णु सागर, राम जनार्दन मंदिर पर विष्णु सागर के पूर्व तक एवं यहाँ से सीधे नदी तक। क्षिप्रा नदी से सांदीपनी आश्रम के पास स्थित आश्रम को शामिल करते हुए उसके बाद के मंगलनाथ मार्ग तक। यहाँ से सांदीपनी आश्रम से खिलचीपुर तक बनाए गए अस्थाई मार्ग को शामिल करते हुए अखाडा क्षेत्र तक समस्त घाट क्षेत्र को शामिल करते हुए मकोडिया आम खाक चौक मार्ग तक।	थाना भेरूगढ़ तहसील व जिला उज्जैन
7	खाक चौक तहसील व जिला उज्जैन	वीर सावरकर चौराहे के पास प्लाट- 254	मकोडिया आम 60 फीट चौड़े मार्ग के सामने से इंद्रा नगर, ईदगाह। ईदगाह पार्किंग को शामिल करते हुए ईदगाह तिराहा अंकपात तिराहा और यहाँ से पिपलीनाका चौराहा तक। पिपलीनाका चौराहे से वीर सावरकर चौराहा तक (मार्ग को छोड़कर) एवं सीधे जेल ब्रिज नदी के मध्य तक। यहाँ से धर्मराज मंदिर के पीछे गंगा घाट तक एवं यहाँ विष्णु सागर को शामिल करते हुए खाक चौक चौराहा (सम्पूर्ण चौराहा) मकोडिया आम मार्ग पर 80 फीट चौड़े मार्ग तक समस्त रोड़ को सम्मिलित करते हुए।	घिमनगंज जीवाजीगंज तहसील व जिला उज्जैन
8	आगर रोड़ से.टा. तहसील व जिला उज्जैन	आगर रोड़ सेटेलार्इट टाउन	उन्हेल नाके से सम्पूर्ण आगर रोड़, चैकिंग वे तथा पार्किंग और सेटेलार्इट टाउन को सम्मिलित करते हुये जैथल टेक स्थित पार्किंग तक। जैथल टेक से आउटर रिंग रोड़ कालियादेह गांव तक। आगर रोड़ से ग्राम बदरखा-बैरसिया होते हुये मुख्य मार्ग कालियादेह गांव तक। आगर रोड़ से पंचोशी मार्ग आउटर रिंग रोड़ एवं ढाबलारेहवारी मार्ग तराना फंटा तक।	भेरूगढ़ तह. व जिला उज्जैन घट्टीया तह. व जिला उज्जैन
9	मकोडिया आम तहसील व जिला उज्जैन	रेल्वे भूमि मकोडिया आम के पास	इन्द्रा नगर तिराहे से इन्द्रा नगर मार्ग को शामिल करते हुए टेम्पो स्टैंड तक। टेम्पो स्टैंड से मकोडिया आम खाक चौक। यहाँ से सीधे अखाडा क्षेत्र के साईड से होते हुए आगर नाका तक। आगर नाका से कार्मल कान्वेंट स्कूल को शामिल करते हुए समस्त आगर रोड़ को शामिल करते हुए	घिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन

			खिलचीपुर पार्किंग, मकोडिया आम पार्किंग शामिल करते हुए इन्द्रा नगर तिराहा तक।	
10	मंगलनाथ मंदिर तहसील व जिला उज्जैन	मंगलनाथ मंदिर के पास प्लाट- 205/1	सांदीपनी आश्रम के बाद स्थित आश्रम से सांदीपनी आश्रम खिलचीपुर मार्ग के किनारे-किनारे सम्पूर्ण अखाड़ा क्षेत्र को शामिल करते हुए सूर्या फार्म हाऊस के पीछे तक। यहाँ से कमेड पार्किंग को शामिल करते हुए कमेड मार्ग स्थित नाला तक। नाले से मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए मंगलनाथ नया ब्रिज, पुराना ब्रिज मंगलनाथ के समस्त घाट यहाँ से नदी के मध्य से गंगा घाट तक। गंगाघाट को शामिल करते हुये यहाँ से सांदीपनी आश्रम के पास मंगलनाथ मुख्य मार्ग तक।	चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन
11	अंगारेश्वर तहसील व जिला उज्जैन	अंगारेश्वर मंदिर के पास मेन रोड प्लाट - 35/10	आगर रोड उन्हेल नाका मार्ग को शामिल कर भेरुगढ उन्हेल नाका तक। उन्हेल बायपास ब्रिज के मध्य से नदी के किनारे-किनारे मंगलनाथ पर निर्माणाधीन ब्रिज तक। कमेड मार्ग के किनारे-किनारे बायपास एमपीईबी ग्रिड को शामिल कर कार्मल कान्वेन्ट स्कूल मार्ग को शामिल करते हुए वापस उन्हेल बाय पास मार्ग तक।	चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन
12	भूखीमाता प्रथम तहसील व जिला उज्जैन	भूखीमाता मंदिर के पास प्लाट - 322/6	भूखी माता मंदिर को शामिल करते हुए मंदिर के सामने स्थित कच्चे मार्ग से भूखी माता बायपास चौराहा मार्ग तक। यहाँ से भूखीमाता बायपास चौराहे को शामिल करते हुए रेल्वे क्रॉसिंग तक। रेल्वे क्रॉसिंग से चलते हुए नदी के मध्य तक। नदी के मध्य से भूखीमाता मंदिर के सामने स्थित घाट तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
13	भूखीमाता द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन	भूखीमाता द्वितीय थाने के पास प्लाट - 315	भूखी माता मंदिर के सामने दत्त अखाड़ा की ओर स्थित घाट से कच्चे मार्ग होते हुए मुल्लापुरा बायपास तक। मुल्लापुरा बायपास से भेरुपुरा बायपास मोड़ तक। यहाँ से भेरुपुरा गांव को शामिल करते हुए भेरुपुरा नाले तक। भेरुपुरा नाले के किनारे से चलते हुए नदी के तट तक। नदी के मध्य से भूखीमाता पर बनी पक्की रपट तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
14	चिंतामण गणेश तहसील व जिला उज्जैन	चिंतामण मंदिर रोड पर/ चिंतामण रेल्वे स्टेशन के पास	नये पुल के टी जंक्शन से मुख्य मार्ग चिंतामण गणेश तक समस्त पार्किंग स्थल को शामिल करते हुए चिंतामण गणेश मंदिर एवं यहाँ से जवासिया चौराहा तक। चिंतामण गणेश मंदिर के पीछे से रेल्वे क्रॉसिंग को शामिल करते हुए नये पुल तक। इनर रिंग रोड चिंतामण मार्ग से रेल्वे ब्रिज तक। चिंतामण जवासिया चौराहे से आउटर रिंग रोड मंगरौला तक तथा जवासिया चौराहा से आउटर रिंग रोड रेल्वे ट्रेक तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
15	बड़नगर रोड से.टा तहसील व जिला उज्जैन	बड़नगर रोड सेटेलाईट टाउन	बड़नगर रोड रेल्वे क्रॉसिंग से फलेग स्टेशन के एक भाग को शामिल करते हुए सेटेलाईट टाउन, धरमबडला, चंदूखेडी, टोल टेक्स बेरियर को शामिल करते हुए ग्राम नलवा तक। ग्राम नलवा से पंचक्रोशी मार्ग को शामिल करते हुए अंबोदिया पडाव तक। ग्राम नलवा से पंचक्रोशी मार्ग तालोद रेल्वे क्रॉसिंग तक। ग्राम मंगरौला से आउटर रिंग रोड धरमबडला से नईखेडी एवं नईखेडी रेल्वे स्टेशन तक। इस मार्ग में पड़ने वाले समस्त पार्किंग स्थल।	महाकाल भेरुगढ तहसील व जिला उज्जैन
16	दत्त अखाड़ा घाट तहसील व जिला	कार्तिक मेला मैदान प्लाट - 16/4	सम्पूर्ण शंकराचार्य चौराहा को शामिल करते हुए छोटी रपट मार्ग को शामिल करते हुए नदी घाट तक। नदी के मध्य से गुरुनानक घाट तक सम्पूर्ण दत्त अखाड़ा घाट को शामिल करते हुए गुरुद्वारा की बाउंड्रीवाल से दत्त अखाड़ा भूखीमाता मार्ग तक। गुरुद्वारा से मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

	उज्जैन		शंकराचार्य चौराहे तक।	
17	गुरुनानक घाट तहसील व जिला उज्जैन	गुरुद्वारा परिसर	नदी के मध्य गुरुनानक घाट से सम्पूर्ण गुरुद्वारा को शामिल करते हुए सीधे भेरुपुरा कच्चे मार्ग तक। भेरुपुरा कच्चे मार्ग को छोड़ कर उसके किनारे-किनारे भेरुपुरा नाले तक। सम्पूर्ण नाले को शामिल करते हुए क्षिप्रा नदी के मध्य तक। क्षिप्रा नदी के मध्य से नृसिंह घाट टापू को छोड़कर उसके किनारे-किनारे गुरुद्वारा के सामने नदी के मध्य तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
18	कालीदास उद्यान तहसील व जिला उज्जैन	कालीदास उद्यान के पास मेला मैदान प्लाट नं.16/2	शंकराचार्य चौराहा के प्रमुख मार्ग को शामिल करते हुए कालिदास उद्यान को शामिल करते हुए बड़ा पुल नया पुल दोनों आखरी छोर तक। पुल के ऊपर से पुल के नीचे सोमतीर्थ कुंड को शामिल करते हुए छोटी रपट तक सुनहरी घाट को शामिल करते हुए यहां से अहिल्याबाई धर्मशाला को शामिल कर शंकराचार्य मार्ग के किनारे-किनारे शंकराचार्य चौराहा तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
19	रंजीत हनुमान तहसील व जिला उज्जैन	रंजीत हनुमान मंदिर के पास प्लाट - 1/1	कालिदास उद्यान की सीमा से नागतलाई एवं नागतलाई मार्ग सदावल मार्ग तक। नाग तलाई से गोंसा गांव होकर ऋण मुक्तेश्वर ब्रिज तक। नदी के मध्य से रंजीत हनुमान मंदिर के सामने नदी के मध्य तक। रंजीत हनुमान से मौजमखेड़ी इनर रिंग रोड़ तक एवं यहाँ से इनर रिंग रोड़ कुत्ता बावड़ी चौराहे तक। नागतलाई से आजमपुरा मार्ग एवं सोड़ग तक तथा इन दोनो मार्गों के चेकिंग - वे।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
20	मुल्लापुरा तहसील व जिला उज्जैन	मुल्लापुरा बड़नगर मार्ग बायपास पर	भेरुपुरा तिराहे से भेरुपुरा मार्ग को शामिल करते हुए मुल्लापुरा बायपास मार्ग तक। मुल्लापुरा बायपास टर्निंग से बायपास रोड़ शामिल करते हुए मुल्लापुरा नाका तक। सम्पूर्ण मुल्लापुरा नाका को शामिल करते हुए यहां से अम्बोदिया मार्ग कुत्ता बावड़ी चौराहे तक (कुत्ता बावड़ी चौराहा शामिल करते हुए तथा अम्बोदिया मार्ग ग्राम सदावल के आगे थाना रामबाग की सीमा सदावल चौराहे तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
21	रामबाग तहसील व जिला उज्जैन	ट्रीटमेंट प्लांट मार्ग प्लाट - 45	शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा मार्ग को छोड़ते हुए उसके किनारे-किनारे थाना गुरुनानक घाट की सीमा मंदिर चबूतरा तक। यहाँ से 80 फिट चौड़े कच्चे मार्ग से होते हुए भेरुपुरा मार्ग और यहाँ से भेरुपुरा मार्ग को छोड़ते हुए उसके किनारे से भेरुपुरा टर्निंग से सीधे सदावल मार्ग तक। सदावल मार्ग के किनारे से होते हुए नाग तलाई मार्ग तक। यहाँ से नागतलाई मार्ग को छोड़ते हुए उसके किनारे-किनारे ग्राम नाग तलाई तक। ग्राम नागतलाई से कालीदास उद्यान जाने वाले मार्ग को शामिल करते हुए कालीदास उद्यान के पीछे तक। कालीदास उद्यान के पीछे से होकर सदावल मार्ग से बड़नगर रोड़ तक। यहाँ से शंकराचार्य चौराहे तक। शंकराचार्य चौराहे को छोड़ते हुए दत्त अखाड़ा मार्ग तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
22	उजरखेड़ा प्रथम तहसील व जिला उज्जैन	उजरखेड़ा प्लाट - 190, 191/1-	बड़नगर रेल्वे क्रॉसिंग से रेल्वे क्रॉसिंग को शामिल करते हुए इनर रिंग रोड़ के फ्लाय ओव्हर तक। यहाँ से उजरखेड़ा के मंदिर को छोड़ते हुए उजरखेड़ा मार्ग बड़नगर रोड़ तक। यहाँ से सीधे 80 फिट चौड़े कच्चे मार्ग को शामिल करते हुए सदावल मार्ग तक। सदावल मार्ग के किनारे-किनारे होते हुए मुल्लापुरा नाका तक। (मुल्लापुरा चौराहा, थाना मुल्लापुरा को छोड़ते हुए), मुल्लापुरा बायपास के किनारे-किनारे होते हुए	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

			बड़नगर रोड़ रेल्वे क्रॉसिंग तक।	
23	उजरखेड़ा द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन	उजरखेड़ा द्वितीय प्लाट - 70/1	इनर रिंग रोड़ के रेल्वे ट्रेक पर इनर रिंग रोड़ के पलाय ओव्हर से लेकर उजरखेड़ा मंदिर को शामिल करते हुए उजरखेड़ा मार्ग के किनारे से होते हुए बड़नगर मार्ग और यहाँ से सीधे सदावल मार्ग तक। सदावल मार्ग के किनारे-किनारे होते हुए कुत्ता बावड़ी चौराहे तक। कुत्ता बावड़ी चौराहे से (चौराहे को छोड़कर) सदावल मार्ग नई खेड़ी तक। नईखेड़ी से रेल्वे ट्रेक को शामिल करते हुए सीधे बड़नगर रोड़ क्रॉसिंग मोहनपुरा प्लेग स्टेशन को शामिल करते हुए इनर रिंग रोड़ से पलाय ओव्हर तक।	महाकाल भेरुगढ तहसील व जिला उज्जैन
24	गउघाट द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन	शनि मंदिर के पास	गउघाट चौराहे से जयसिंहपुरा चौराहा एवं रेल्वे लाईन के समानान्तर ज्ञान सागर अकादमी को शामिल करते हुये लालपुल मार्ग और यहां से क्षिप्रा नदी के मध्य तक, क्षिप्रा नदी के मध्य से घाटों को शामिल करते हुये गउघाट तक।	नीलगंगा महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
25	गउघाट तृतीय तहसील व जिला उज्जैन	गउघाट तृतीय के पास	ज्ञान सागर अकादमी के बाद से रेल्वे क्रॉसिंग के समानान्तर लालपुल तिराहा पार्किंग। यहाँ से लालपुल के नीचे होकर क्षिप्रा नदी के मध्य तक। लालपुल नदी के मध्य से समस्त घाटों को शामिल करते हुए 400 मीटर तक का मार्ग एवं गऊघाट द्वितीय की सीमा तक।	नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन
26	लालपुल तहसील व जिला उज्जैन	लालपुल के पास	बड़ा लालपुल तिराहे से सम्पूर्ण पुल को सम्मिलित करते हुए नये ब्रिज के टी जंक्शन तक। बड़े लालपुल तिराहा से छोटा (पुराना लालपुल सम्मिलित करते हुए हरिओम ढाबा के सामने से चिंतामण मार्ग तिराहा रेल्वे क्रॉसिंग तक। लालपुल से जयसिंहपुरा मार्ग, जयसिंहपुरा चौराहे तक एवं यहां से चारधाम मंदिर मार्ग को छोड़ते हुए हनुमान मंदिर तक। यहां से नृसिंह घाट मार्ग कलवर्ट नं. 02 के निकासी मार्ग तक, नं. 02 निकासी मार्ग शामिल करते हुए नदी के मध्य तक। यहां भूखी माता मंदिर से नदी के मध्य लालपुल तक।	नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन
27	कर्कराज तहसील व जिला उज्जैन	कर्कराज मंदिर के पास प्लाट - 50/3	भूखी माता रपट से नदी के मध्य से नृसिंह घाट तक। यहां से निकासी मार्ग को शामिल करते हुए हरसिद्धी मार्ग नृसिंह घाट के सामने तक यहां से हरसिद्धी मार्ग को शामिल करते हुए हनुमान मंदिर तक। हनुमान मंदिर से निकासी मार्ग के किनारे - किनारे भूखी माता रपट सामने से नदी के मध्य तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
28	नृसिंह घाट तहसील व जिला उज्जैन	लालपुल कलवर्ट के पास प्लाट-39	सिद्धाश्रम घाट से समस्त नृसिंह घाट निर्गम मार्ग - 04 तक। यहां से निर्गम मार्ग - 04 के समानान्तर सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग तक। सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग को छोड़ते हुये सम्पूर्ण नृसिंह घाट परिसर, नये नृसिंह घाट ब्रिज तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
29	हरसिद्धी तहसील व जिला उज्जैन	नूतन स्कूल के सामने प्लाट - 117	जयसिंहपुरा चौराहे से सम्पूर्ण मार्ग, चारधाम मंदिर के पीछे से होते हुए हरसिद्धी, लालपुल मार्ग के किनारे से हरसिद्धी मंदिर के पीछे अत्युतानंद व्यायाम शाला को शामिल करते हुए संतोषी माता मंदिर वहां से हरसिद्धी पाल, हरसिद्धी पाल से चौबीस खंबा माता मार्ग थाना महाकाल तक। हरसिद्धी पाल से सम्पूर्ण रूद्र सागर। महाकाल धर्मशाला के पीछे से निकासी मार्ग किनारे-किनारे पत्रकार कालोनी तक एवं पत्रकार कालोनी से मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

			जयसिंहपुरा चौराहे तक ।	
30	रामघाट प्रथम तहसील व जिला उज्जैन	रामघाट सुलभ काम्पलेक्स के पास	संतोषी माता मंदिर मार्ग से हरसिद्धी जाने वाले मार्ग को शामिल करते हुये सिद्धाश्रम के सामने से नृसिंह मार्ग नये ब्रिज मार्ग एवं सम्पूर्ण नया नृसिंह घाट ब्रिज तक। यहां से सिद्धाश्रम को शामिल करते हुये गुरुनानक घाट को जोड़ने वाले पेन्टून ब्रिज तक यहां से नदी के मध्य से दत्त अखाड़े की ओर जाने वाली रपट तक। दत्त अखाड़ा एवं रामघाट का सम्पूर्ण रपट को शामिल करते हुये यहां से रामघाट मार्ग, बम्बई धर्मशाला के सामने से रामानुज कोट एवं सवारी मार्ग शीतला माता की गली तक। यहां से रामानुज कोट के नीचे से राजपूत धर्मशाला की सीढ़ियां यहां से हरसिद्धी माता मंदिर के पीछे वाले मार्ग से संतोषीमाता मंदिर तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
31	रामघाट द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन	रामघाट राणौजी की छत्री	दत्त अखाड़ा रपट से नदी के मध्य से होकर छोटे पुल तक । सम्पूर्ण रामघाट को शामिल करते हुए दानी गेट, गणगौर दरवाजा होकर समर्थ हनुमान दास गली नं. 2 को शामिल करते हुए योगमाया माता मंदिर के पीछे वाली सड़क को शामिल करते हुए हरसिद्धी पाल रामघाट मार्ग के किनारे किनारे रामानुज कोट, रामानुज कोट से बम्बईवाले की धर्मशाला के किनारे से राणौजी की छत्री तक । सम्पूर्ण छोटी रपट तथा सम्पूर्ण पेन्टून ब्रिज।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
32	गोपाल मंदिर तहसील व जिला उज्जैन	पुराना थाना खाराकुआ	चौबीस खम्बा माता मंदिर से महाकाल थाने के पीछे तक, गुदरी से सवारी मार्ग को शामिल करते हुए योगमाया माता मंदिर के पीछे वाले मार्ग के किनारे किनारे कार्तिक चौक सवारी मार्ग से गणगौर दरवाजा, दानीगेट बिलौटीपुरा मार्ग के किनारे-किनारे चक्रतीर्थ टर्निंग, जूना सोमवारिया मार्ग के किनारे से पत्ती बाजार मार्ग को शामिल करते हुए केडी गेट के.डी. गेट से कमरी मार्ग चौराहा, टंकी चौक, छत्री चौक, लखेरवाडी मार्ग होकर भागसीपुरा मार्ग को शामिल करते हुए उपकेवर महादेव तोपखाना मार्ग शामिल करते हुए दौलतगंज चौराहा मदार गेट से सखीपुरा मार्ग गदा पुलिया तक। उपकेश्वर महादेव से लोहे का पुल से महाकाल घाटी चौराहा तक महाकाल घाटी चौराहे के किनारे से चौबीस खंबा माता मंदिर तक ।	महाकाल जीवाजीगंज खाराकुआ तहसील व जिला उज्जैन
33	वाल्मिकी धाम तहसील व जिला उज्जैन	वाल्मिकी धाम पार्किंग प्लाट - 1	पीपलीनाका चौराहा पर जूना सोमवारिया मार्ग के प्रारंभ से लेकर नदी के मध्य तक एवं नदी के मध्य से ऋणमुक्तेश्वर घाट, वाल्मिकी घाट, चक्रतीर्थ घाट शामिल करते हुए बड़े पुल तक। बड़े पुल से चक्रतीर्थ एवं बिलौटीपुरा मार्ग दानीगेट तक, चक्रतीर्थ से जूना सोमवारिया चौराहा। सम्पूर्ण चौराहा को शामिल करते हुए, जूना सोमवारिया बायपास मार्ग शामिल करते हुए पीपलीनाका तक।	जीवाजीगंज तहसील व जिला उज्जैन
34	महाकाल मंदिर तहसील व जिला उज्जैन	सरस्वती स्कूल के पास मैदान	महाकाल धर्मशाला के पीछे स्थित मार्ग से बड़ा गणेश तक, बड़ा गणेश के पीछे से चौबीस खम्बा माता मार्ग के समानान्तर चौबीस खम्बा माता मंदिर तक। यहां से कोट मोहल्ला चौराहा, बेगमबाग, हरिफाटक ब्रिज के नीचे तक। यहां से बेगमबाग कालोनी होते हुये ब्रिज के नीचे पत्रकार कालोनी से गरीब नवाज कालोनी के पीछे निकासी मार्ग को शामिल करते हुये रुद्र सागर के समानान्तर महाकाल	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

			धर्मशाला के पीछे स्थित मार्ग तक।	
35	नागझिरी तहसील व जिला उज्जैन	लालपुर रोड	एम.आर. 10 पर विश्वविद्यालय को जाने वाले कच्चे मार्ग से पाईप फैक्ट्री चौराहे तक। पाईप फैक्ट्री के सम्पूर्ण चौराहे को शामिल करते हुए देवास रोड़ दताना-मताना हवाई पट्टी तक। दताना-मताना हवाई पट्टी के सामने स्थित पार्किंग, चंदेसरा चैकिंग-वे लालपुर सेटेलार्इट टाउन को शामिल करते हुए आउटर रिंग रोड़ अक्षत स्कूल तक। आउटर रिंग रोड़ से निकलने वाले समस्त मार्ग जो विक्रम नगर रेल्वे स्टेशन पर मिलते हैं तथा क्षिप्रा विहार की ओर जाने वाले मार्ग सोयाबीन प्लांट से सेन्ट्रल स्कूल मार्ग तक।	नरवर माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन
36	विक्रमनगर तहसील व जिला उज्जैन	विक्रमनगर रेल्वे स्टेशन के पास	समस्त विक्रम नगर रेल्वे स्टेशन को शामिल करते हुए एमआर 10 विश्व विद्यालय जाने वाले कच्चे मार्ग तक। यहाँ से सम्पूर्ण विश्व विद्यालय परिसर को शामिल करते हुए देवास रोड़ तक। देवास रोड़ पर कोठी मार्ग को शामिल करते हुए कोठी के सामने तिराहे तक। यहाँ से नवीन न्यायालय भवन के सामने स्थित मार्ग से एमआर 10 तक। एमआर 10 से मक्सी रोड़ तक। एमआर 10 से रेल्वे कासिंग होते हुए विक्रम नगर रेल्वे स्टेशन मार्ग उदयन मार्ग तक।	माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन
37	भरतपुरी तहसील व जिला उज्जैन	केन्द्रीय सहकारी बैंक तिराहा पर	पाईप फैक्ट्री चौराहा से देवास मार्ग तीन बत्ती चौराहा तक (पाईप फैक्ट्री चौराहा एवं तीन बत्ती चौराहा छोड़कर)। सर्किट हाउस तिराहे से तारा मंडल चौराहे तक। महानंदा नगर मोड़ से बिडला अस्पताल तक। महाश्वेता नगर तिराहे से इस्कान मंदिर को शामिल करते हुए यातायात थाने को जाने वाले मार्ग तक। भरतपुरी तिराहे से एमआर 2 थाना यातायात तक। मुंगी चौराहे से मुनीनगर चौराहे तक सम्पूर्ण मार्ग। मुंगी चौराहे से कोठी तक एवं उदयन मार्ग रेल्वे स्टेशन जाने वाले मार्ग तक। पोलीटेक्निक कालेज, साईंस कालेज, यूपीएस स्कूल एवं अभिनंदन परिसर स्थित समस्त पार्किंग स्थल इसमें सम्मिलित है।	माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन
38	पंवासा तहसील व जिला उज्जैन	पंवासा सेटेलार्इट टाउन	मक्सीरोड़ पिपलिया खाल से पाटपाला, विजयागंज मण्डी तक। समस्त सेटेलार्इट टाउन, चैकिंग - वे एवं फ्लेग स्टेशन पंवासा को शामिल करते हुए श्रीसिंथेटिक चौराहे से पिंगलेश्वर तक। पिंगलेश्वर रेल्वे स्टेशन से आउटर रिंग रोड़ तराना मार्ग तक। यहाँ से तराना रोड़ हक्कानीपुरा होते हुए मण्डी तिराहे तक। पिंगलेश्वर से माधोपुरा होते हुए पंचकोशी मार्ग एमआर 05 तक। आउटर रिंग रोड़ श्रीसिंथेटिक चौराहे से अक्षत स्कूल तक। शंकरपुरा से करौंदिया तक मार्ग, चैकिंग - वे धतरावदा, हक्कानीपुरा एवं उंडासा तालाब भी शामिल है।	चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन
39	जीरो पाईट तहसील व जिला उज्जैन	ब्रिज के पास	चामुण्डा ब्रिज के नीचे से मक्सी रोड़ पीलिया खाल तक। मक्सी ओव्हर ब्रिज के नीचे से एमआर 05 रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक। गोपालपुरा से उदयन मार्ग विक्रमनगर रेल्वे स्टेशन जाने वाले मार्ग तक। लक्ष्मीनगर, देसाई नगर मार्ग संदीपनी चौराहा, शहीद पार्क, टॉवर, चामुण्डा ब्रिज तक। चामुण्डा ब्रिज से ग्रांड होटल मार्ग, प्रियदर्शनी चौराहा। यहाँ से देवास रोड़ दुर्गा प्लाजा तक। सी.पी.शाह से प्रियदर्शनी चौराहा, टॉवर, सेठी बिल्डिंग तक सम्पूर्ण फ्रीगंज क्षेत्र कण्ट्रोलरूम के सामने	देवासगेट माधवनगर चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन

			से आफीसर मेस तिराहा तक। जाल स्कूल पार्किंग, दशहरा मैदान पार्किंग एवं पण्डयाखेड़ी पार्किंग इसमें शामिल है।	
40	चामुण्डा माता तहसील व जिला उज्जैन	सामाजिक न्याय परिसर	चामुण्डा माता ब्रिज को शामिल करते हुए यहाँ से रेल्वे ट्रेक के किनारे से संख्याराजे धर्मशाला होते हुए सम्पूर्ण देवास गेट बस स्टेण्ड तक। देवास गेट चौराहे से रेल्वे स्टेशन के सामने से होते हुए इन्दौर गेट, गधापुलिया, हरीफाटक ओव्हर ब्रिज के नीचे तक। इन्दौर गेट से दौलतगंज चौराहा और यहाँ से मालीपुरा होकर देवासगेट चौराहा। दूध तलाई पार्किंग एवं रेल्वे स्टेशन के बाहर की सम्पूर्ण व्यवस्था। देवास गेट चौराहे से सम्पूर्ण आगर रोड़ इन्द्रानगर तिराहे तक। एमआर 05 पटेल नगर से आगर रोड़ एवं मण्डी तिराहे से रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक। एमआर 04 मार्ग एमआर 05 मार्ग से बीमा चौराहे तक। कोयला फाटक चौराहे से ढांचा भवन, जीरो पाईट ब्रिज तक। सामाजिक न्याय परिसर, नरेश जीनिंग फेक्ट्री, तिब्बती मार्केट एवं बीमा चौराहे पर स्थित समस्त पार्किंग शामिल है।	देवासगेट नीलगंगा महाकाल चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन
41	क्षीरसागर तहसील व जिला उज्जैन	क्षीरसागर स्टेडियम	अंकपात तिराहे से सम्पूर्ण नईसड़क मार्ग दौलतगंज चौराहे तक। अंकपात तिराहे से लालबाई-फूलबाई होकर कामदारपुरा से के.डी. गेट तक। के.डी. गेट से खजूर वाली मस्जिद होते हुए निकास चौराहा तक। भार्गव तिराहे से टंकी चौक तक। टंकी चौक से मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा। यहाँ से बियाबानी चौराहा होते हुए बीमा चौराहे तक। छत्रीचौक से सतीगेट, कंठाल चौराहा। यहाँ से निजातपुरा होते हुए कोयला फाटक तक। सुभाष मार्ग तिराहे से क्षीरसागर एवं उसके आस-पास के समस्त मार्ग शामिल करते हुए बहादुर गंज से मालीपुरा तक। निजातपुरा से बियाबानी यहाँ से निकास चौराहे तक।	कोतवाली जीवाजीगंज खाराकुंआ तहसील व जिला उज्जैन
42	शनि मंदिर तहसील व जिला उज्जैन	शनि मंदिर पार्किंग	मेघदूत रेस्त्रां के सामने से इन्दौर-उज्जैन मार्ग नये पुल की समाप्ति तक तथा पुराने पुल के ऊपर से पुल समाप्ति तक पुराने पुल की सड़क के पूर्व तरफ से समस्त खेत को शामिल करते हुए दोनों पुलों के नीचे से क्षिप्रा नदी के तट को शामिल करते हुए त्रिवेणी संगम तक। त्रिवेणी संगम से नदी के पश्चिमी तरफ के तट को पार करते हुए साबराखेड़ी तक सम्पूर्ण मार्ग एवं इस मार्ग पर स्थित समस्त पार्किंग स्थल खान नदी को शामिल करते हुए रामकृष्ण आश्रम के पीछे से मेघदूत रेस्त्रां के साईड से मुख्य मार्ग तक	नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन
43	तपो भूमि तहसील व जिला उज्जैन	बिलकेश्वर महादेव मंदिर के पास	पंथपिपलई जिले की सीमा से इन्दौर मार्ग मेघदूत ढाबा तक। तपोभूमि तिराहे से आउटर रिंग रोड़ चोंदमुख से रेल्वे क्रॉसिंग तक। पिपलियाराघौ से पंचक्रोशी मार्ग करोहन होकर रेल्वे क्रॉसिंग तक। चैकिंग-वे चोंदमुख, पिपलियाराघौ एवं तपोभूमि के पीछे तक। तपोभूमि मंदिर एवं चैकिंग-वे निनौरा पार्किंग और पंथपिपलई चैकिंग नाका इसमें शामिल है।	नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन
44	प्रशांतिधाम तहसील व जिला उज्जैन	प्रशांतिधाम पार्किंग	शनि मंदिर के ब्रिज से महामृत्युंजय द्वार तक। महामृत्युंजय द्वार से क्षिप्रा के पूर्व तट को शामिल करते हुए प्रशांतिधाम व्हीआईपी घाट तथा क्षिप्रा पूर्व तट होते हुए शमशान घाट से शामिल करते हुए बड़े ब्रिज के नीचे से होते हुए छोटे ब्रिज के नीचे से पंचक्रोशी मार्ग शक्करवासा तक। शक्करवासा से आउटर रिंग रोड़ शामिल करते हुए त्रिवेणी विहार के पार्किंग स्थल के पीछे बगीचे को शामिल कर इन्दौर-उज्जैन मुख्य	नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन

			मार्ग तक	
45	इंजी. कालेज से. टा. तहसील व जिला उज्जैन	इंजीनियरिंग कालेज सेटेलाइट टाउन	इंजीनियरिंग कालेज तिराहे से सम्पूर्ण इंजीनियरिंग कालेज परिसर शामिल करते हुए पाईप फैक्ट्री तिराहे तक । बटालियन गेट के सामने से महर्षि डलगर्णी मार्ग आउटर रिंग रोड तक ।	नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन
46	मित्र नगर तहसील व जिला उज्जैन	नानाखेडा स्टेडियम	महामृत्युंजय द्वार से नानाखेडा चौराहा तक मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए। नानाखेडा चौराहा से चारुदत्त तिराहे तथा चारुदत्त तिराहे से इन्दौर मार्ग महामृत्युंजय द्वार तक। महामृत्युंजय द्वार से बसंत विहार व्हीआईपी मार्ग तारा मण्डल तक। नानाखेडा बस स्टैण्ड से जवाहर नगर चौराहा बिड़ला अस्पताल चौराहा तक। नानाखेडा चौराहे से एमआर-2 थाना यातायात तिराहे तक। यातायात थाने से मुख्य मार्ग बिरला अस्पताल से व्हीआईपी मार्ग तारा मण्डल तक नानाखेडा चौराहा से इन्दौर मार्ग, सी.पी. शाह चौराहे तक, मुनिनगर से मुख्य मार्ग चौराहे तक, कवेलू कारखाना से शिंदे नर्सिंग होम तक ।	नानाखेडा माधवनगर नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन
47	साबराखेडी से.टा. तहसील व जिला उज्जैन	साबराखेडी सेटेलाइट टाउन	शांति पैलेस के पास नये ब्रिज से इनर रिंग रोड चिंतामण मार्ग तक। साबराखेडी चौराहे से शनि मंदिर मार्ग साबराखेडी तक। साबराखेडी चौराहे से समस्त पार्किंग स्थल को शामिल करते हुए सम्पूर्ण सेटेलाइट टाउन क्षेत्र तथा सेटेलाइट टाउन से वाकणकर ब्रिज तक इसी तरफ से सेटेलाइट टाउन से बडनगर नये पुल तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
48	हरीफाटक तहसील व जिला उज्जैन	होटल इम्पीरियल के पास मैदान	चारुदत्त तिराहे से मुख्य मार्ग हरिफाटक चौराहे तक। हरिफाटक चौराहे से रेल्वे कालोनी शास्त्री नगर होकर सिंधी कालोनी तिराहे तक मुख्य मार्ग एवं उसमें स्थित पार्किंग स्थल। हरिफाटक चौराहे से लोटि स्कूल तिराहे से धन्नालाल की चाल से ग्राण्ड होटल के सामने बाबू जगजीवनराम प्रतिमा तक। हनुमान नाका से नीलगंगा तालाब एवं वहां से कवेलू कारखाना मुख्य मार्ग। हनुमान नाका से गधा पुलिया होकर हरिफाटक ब्रिज के ऊपर से हरिफाटक ब्रिज बेगमबाग तरफ की सम्पूर्ण लेन इंटरप्रिटेशन सेन्टर तक की समस्त लेन तथा हरिफाटक की तरफ उतरने वाली सम्पूर्ण लेन। होटल इम्पीरियल के बाजू से वाकणकर ब्रिज होकर क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट तक । शीतल गेस्ट हाऊस के सामने से रेल्वे ट्रेक तक। लोटि स्कूल तिराहे से सी.पी. शाह चौराहे तक मुख्य मार्ग।	नीलगंगा महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
49	गऊघाट प्रथम तहसील व जिला उज्जैन	गऊघाट पर निर्मित टीन शेड	शीतल गेस्ट हाऊस से नीलगंगा थाना के पास से रेल्वे ट्रेक के किनारे-किनारे जयसिंहपुरा रेल्वे क्रॉसिंग जयसिंहपुरा मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए गऊघाट चौराहा शामिल कर सम्पूर्ण गऊघाट नदी के मध्य से शीतल गेस्ट हाऊस के पीछे तक। गऊघाट का पेन्टून ब्रिज, यंत्र महल एवं यंत्र महल का व्हीआईपी घाट इसमें शामिल है।	नीलगंगा महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
50	पर्यटक घाट तहसील व जिला उज्जैन	वाकणकर ब्रिज मार्ग के पास	वाकणकर ब्रिज के नीचे से नदी मध्य से होते हुये स्टॉप डेम तक। स्टॉप डेम से हरिओम ढाबा मार्ग तक एवं हरिओम ढाबा मार्ग को शामिल करते हुये साबराखेडी तिराहे तक एवं यहां से वाकणकर ब्रिज मार्ग के समानान्तर वाकणकर ब्रिज तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन
51	गऊघाट दक्षिण तहसील व जिला उज्जैन	हरिओम ढाबे के पीछे साबराखेडी से.टा.	पुराने छोटे लालपुल से नदी के मध्य से स्टॉप डेम तक, स्टॉप डेम से हरिओम ढाबा मार्ग तक। हरिओम ढाबा मार्ग को सम्मिलित करते हुये यहां से बडनगर ब्रिज के नीचे तक।	महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
HOME (POLICE) DEPARTMENT

Excercising the power given in the Section 2 Sub section (s) of the criminal procedure 1973 (Serial number 2 of 1974), the Govt.Order no.2(a)-15-99-b-3-2 Dated 11 oct.2004 and in respect of the decision taken by the committee of District Collector, Superintendent of Police and Dist.Prosecution officer, by exercising the powers given to the committee by the Govt. letter no. F-2(a)-09-08-b-3-2 Dated 30 July 2010, for partial amendment in the notification affecting the specified areas given in the table below for effective Law & Order and Traffic Arrangement during Simhasth 2016, 51 Temporary Police Stations are estabshlished, which would come into effect on 01 April 2016 and would remain in effect upto 31 May 2016 –

- 01- Local areas mentioned in the column no.3 are excluded from the police stations mentioned in the column no.04 of the table below.
02- Local areas mentioned in the column no.3 are brought under the police stations mentioned in the column no.01 of the table below.

Table

S. No.	Name of the Police Station (With tehsil and the District) included	Location of the temporary Police station	Area of the Police Station	Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded
1	2	3	4	5
1	Kaal Bhairav Mandir	Plot no. 93 in East of the Kaal Bhairav Mandir	Main road from Kshipra Bridge to Jail Tiraha , Kal Bhairav temple.From here to Kal Bhairav Ghat,vikrant Bhairav mandir up to Okleshhwar Bridge. From Okleshhwar Bridge to Mojamkhedi. This Police station includes Kal Bhairav Temple, Kal Bhairav Ghat, Vikrant Bhairav temple, Vikrant Bhairav Ghat Mojamkedi parking and all other parkings in the area.	Police station Bherugarh ,Tehsil and Dist. Ujjain
2	Siddhvat police station	Plot no. 50/3 in East of the Siddhvat Mandir	Including the Unhel naka from Bherugarh Police Station till the corner of the river.From the center of the river to the Mangalnath bridge tiraha and from their till the Kshipra bridge jail tiraha.From here excluding the main marg and including the jail tiraha till the entire Bherugarh Bridge and back till the unhel naka. This Police Station will also include Sidhvat Temple,Sidhawat	Police station Bherugarh ,Tehsil and Dist. Ujjain

			Ghat, Akhara and Parking places.	
3	KD Palace Police Station	Near Surya Mandir	From Unhel Naka it asimilates the entire route till KD palace and from KD village till outer ring road. In cooperating entire KD village, KD palace, Sun Temple, 52 Kund and entire Akhara region. It goes from village Abuhana till outer ring road. From outer ring road Sodang, Unhel route till KD village turn. This Police Station has 3 Checking way KD palace, 52 Kund, Sun Temple and important the land marks.	Police station Bherugarh., Tehsil and Dist. Ujjain
4	Police Station Unhel Road satellite town	Unhel Road satellite town	From Unhel Naka till entire unhel road village Chakravada and from outer ring road, Unhel Road till Naikhedi Ambodia Road to Outer Ring Road Unhel . Important places in this police station is the entire satellite town Ramgarh turning checking way , Sodhang parking etc.	Police station Bherugarh ,Tehsil and Dist. Ujjain
5	Gadkalika Police station	In Front of Gadkalika temple plot no. 144/1	From Peeplinaka in cooperating entire Peeplinaka till Kshipra River and from their in cooprating the entire route of Bhrathari Gufa , Gadhkalika, Pirmtsyendranath and including river side Okleshshwar Ghat till Kshipra River Bridge. Including the main route form Kshipra river via the veer sawarkar Chauraha straight toward peeplinaka Chauraha. This police station area will include Bhrathari Gufa, Pirmtsyendranath ,Gadhkalika , Okleshshwar Ghar, Vishnu chatushtika Mandir, Veer Sawarkar parking as important places.	Police station Bherugarh., Tehsil and Dist. Ujjain
6	Sandipani Ashram station	Near Nirwani Akhara Plot no. 301	Including the 80 feet broad route through the corner of Makodia aam, khak chowk route till the khak chowk, Vishnu sagar, and east of the Vishnusagar at Ram Janardana Temple and from here straight till the river. From Kshipra river to the Ashram close to the Sandipani ashram and from their to till Mangalnath marg. From here including the temporary rout from Sandipani Ashram to Khilchipur and also including entire Ghat area till Akhara reigion till the Makodia aam, Khak chowk road.	Police station Bherugarh ., Tehsil and Dist. Ujjain
7	Police Station Khak Chowk	Near Vir Sanwarkar Chauraha Plot	From Makodia aam 60 feet broad road front area to Indira nagar, Eidgah .Including Eidgah parking till Eidgaha Tiraha, Ankpat Tiraha and from here till Piplinaka Chauraha. From Piplinaka till	Police Station Chimanganj, Jiwajiganj

		no.254	Piplinaka Chauraha to vir Sanwarkar chauraha (excluding the path) to Jail.Bridge till the middle of the river.From here to the Ganga Ghat behind Dharamraj Mandir and from there including the Vishnu sagar till the Khak chauk Chauraha(the entire	Tehsil and Dist. Ujjain
8	Agar Road Settelite Town	Agar Road Settelite Town	From Unhel naka including the entire Agar road checking way and parking and S.T. till Jaithal tak parking area.From Jaithal tak to outer ring road,kaliyadeh village.From Agar road via village Badarkhan bairasia till the main road Kaliadeh village.Fromm Agar road to PanchKroshi marg outer ring road and Dhabala rehwari road till Tarana Phanta.	Police Station Bherugarh Tehsil and Dist. Ujjain Police Station Ghatiya Tehsil Ghatiya and Dist. Ujjain
9	Police Station Makodia Aam	Railway Land near Makodiya Aam	From Indira Nagar Tiraha including Indira nagar Marg till the Tempo stand.From Tempo Stand to Makodia aam Khak chowk.From here via the side lanes of Akhara area till Agar naka.From Agar naka including the Caramel Convent School and the entire Agar road,Khilchipur Parking Makodia aam parking till the Indira nagar tiraha.	Police Station Chimangan j Tehsil and Dist. Ujjain
10	Mangal nath Police station	Near Mangal-nath Temple Plot no.205/1	From the Ashram close to the sandipani Ashram including the entire Akhara area near the Khilcipur marg till the behind of Surya farm house.From here including the Kamed parking till the nala situated near Kamed marg.From the nala including the main route Mangalnath new bridge,Mangalnath old bridge and all other Ghats of Mangalnath till the Ganga Ghat including the center of the river.Including the Ganga Ghat and from teir till the Mangalnath main road near the Sandipani Ashram.	Police Station Chimangan j Tehsil and Dist. Ujjain
11	Angaresh-war Police station	Near Angaresh-war Temple Main Road Plot no.35/10	From Agar Road Unhel Naka till Bherugad Unhel naka. From the center of Unhel by pass bridge to the under construction bridge on Mangalnath.At the corner of Kamed marg including the by pass MPEB Grid,Caramel Convent School road back to the Unhel by pass path .	Police Station Chimangan j Tehsil and Dist. Ujjain
12	Bhukhi Mata	Near Bhukhi	Including the Bhukimata Mandir from the raw road infront of the mandir till the Bhukhimata by	Police Station

	Police Station-1	Mata Temple Plot no.322/6	pass Chauraha road. From here including the Bhukhimata by pass chauraha till tjr railway crossing.From the railway crossing till the center of the river and from teir till the Ghat.Infront of the Bhukhimata temple.	Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
13	Bhukhi Mata Police Station-2	Near Bhukhi Mata Temple Plot no.315	From the Ghat near Dutt Akhara infront of Bhukhimata mandir via the raw road till Mullapura by pass. From Mullapura by pass to the Bherupura by pass turn.From here including the Bherupura village till the Bherupura nala .From the river bank near the Bherupura nala till the pakki rapat on Bhukhimata.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
14	Chintaman Ganesh Police Station	Chintaman Temple Road, near Railway Station	From the T- Junction of new bridge to the main road Chintaman Ganesh.Including the entire parking area from Chintaman Ganesh Temple till Jawasia Chauraha.Including the Railway crossing behind Chintaman Ganesh temple till New Bridge.From inner ring road Chintaman marg till railway bridge.From Chintaman Jawasiya Chauraha to the outer ring road Mangrola and from Jawasiya chauraha till outer ring road railway track.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
15	Badnagar Road S.T.	Badnagar Road S.T.	From Badnagar Road railway crossing including the one part of the Flag station and including Satellite Town, Dharmbadla, Chandukedi, toll tax barrier till Nalwa village. From their including the Panchkroshi marg till Ambodiya padav. From village Nalwa to Panchkroshi marg Talod railway crossing.From Village Mangrola via outer ring road Dharmbadla to Naikheri railway station and all parking areas on this route.	Police Station Mahakal, Bherugarh Tehsil and Dist. Ujjain
16	Dutt Akhada Police Station	Kartik Mela Ground plot 16/4	Including the entire Shankaracharya Chauraha and the Choti rapat road till the river Ghat. From the center of the river to the Gurunanak Ghat,including the entire Dutt Akhara Ghat and fromm the boundary wall of the Gurudwara till.Dutt Akhara Bhukhimata marg.From Gurudwara including the main route till the Shankaracharya chauraha.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

17	Gurunank Ghat Police Station	Gurudwara primises	From the Gurunanak ghat center of the river including the entire Gurudwara till the Bherupura raw road. Leaving the Bherupura raw road only including the corner of the road till the Bherupura nala. Including the entire nala till the centre of kshipra river and from their leaving the Narsingh Ghat Iceland till the centre of the river in front of the Gurudwara.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
18	Kalidas udyan Police Station	Near Kalidas udyan Mela Ground Plot no. - 16/2	From the main marg of the Shankaracharya chauraha till the last pit of large bridge, Naya bridge including the Kalidas Udyan from the upper side of the bridge to the lower side Somtirth Kund till the Choti rapat and Sunheri Ghat and from their including the Ahilya bai Dharamshala via thr side lane of the Shankaracharya marg till the Shankaracharya chauraha.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
19	Ranjit Hanuman Police Station	Near Ranjit Hanuman temple Plot no.1/1	From the boundary of the Kalidass garden till Naag Talai and from Naag Talai road to Sadawal road. From Naag Talai via Gonsa village till Rin Mukteshwar bridge. From the center of the river till Ranjit Hanuman Mandir From their to Mojamkhedi inner ring road and from their till the inner ring road Kutta Bawadi chauraha. From Naag Talai to Ajampura road to Sodang and the chechking way of this roads.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
20	Mullapura Police Station	Mullapura Badnagar bypass road	From Bherupura Tiraha till Mullapura by pass marg including the bherupura marg. From Mullapura by pass turning till Mullapura naka including the by pass road. Including the entire Mullapura naka till the Ambodiya marg Kutta Bawadi chauraha .Including the kutta Bawadi chauraha and Ambodiya marg village Sadawal to the boundary of Rambag Police station till Sadawal chauraha.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
21	Ram bag Police Station	Treatment Plant road Plot no.45	From Shankaracharya Chauraha to the boundary of the Gurunanak Ghat till the Mandir Chabutara leaving the Dutt Akhara road. From here by the 80 feet broad raw road till the Bherupura marg and from their leaving the Bherupura marg from the Bherupura turning till the Sadawal marg. From the corner of the Sadawal marg till	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

			the Naag Talai marg.From here walkinh on the corner of the Naag Talai marg till the village Naag Talai.From village Naag Talai till the back side of Kalidas Udyan including the way to Kalidas udyan.From the back side of the Kalidas Udyan via the Sadawal marg till the Badnagar road.From here to the Shankaracharya chauraha and from their excluding the Shankaracharya chauraha till the Dutt Akhada marg.	
22	Ujjarkhed a-1 Police Station	Ujjarkheda Plot no. 190,191/1	From Badnagar railway Crossing to the fly over of the inner ring road including the railway crossing.From here leaving a side to the Ujjarkheda Temple to the Ujjarkheda marg Badnagar road.From here including the 80 feet broad raw road till the Sadawal marg.From the corner of the Sadawal marg till the Mullapura naka(Excluding the Mullapura chauraha and Police Station).From the corners of the Mullapura by pass till the Badnagar road railway crossing.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
23	Ujjarkhed a-2 Police Station	Ujjarkhed a Plot no. 70/1	From the inner Ring Road, railway track till the corner of the Ujjarkheda marg including the Ujjarkheda mandir and from their to the Badnagar marg and straight to the Sadawal marg.From the side lanes of Sadawal marg till Kutta Bawadi chauraha and from their till the Sadawal marg Naikhedi.From Naikhedi including the railway track,Badnagar road crossing,Mohanpura Flag station to the inner ring road and fly over.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
24	Gaugat II Police Station	Near Shani Temple	From Gaugat chauraha to Jaisinghpura chauraha including the Gyan sagar Academy parallel to the railway line till the lalpul marg and from here middle of the Kshipra river and from here their till the Gau Ghat including all Ghat in between.	Police Station Neelganga Tehsil and Dist. Ujjain
25	Gaugat III Police Station	Near Gaughat -III	After the Gyan sagar Academytill the Lalpul Tiraha parking parallel to the railway crossing.From their via the Lalpul till the middle of the Kshipra river.From the Lalpul center of the river including all the Ghats in between and the 400 meter path till the bowndry of the Gaughat-II	Police Station Neelganga Tehsil and Dist. Ujjain

26	Lalpul Police Station	Near Lalpul	From the Large Lalpul Tirahe including the entire pull till the Tiraha of the new bridge.From Bada lalpul tiraha to the Chintaman margrailway crossing infront of the Hariom Dhaba.From Lalpul to Jaisinghpura road and jaisinghpura chauraha and from here till the Hanuman mandir excluding theChardham mandir marg.From here to the Narsingh Ghat marg,Kalvart-2 and from Narsingh Ghat marg exit roadto the centre of the river.From here the Bhukhimata mandir till the Lalpul in the centre of the river.	Police Station Neelganga Tehsil and Dist. Ujjain
27	Karkraj Police Station	Near Karkraj Mandir Plot no.50/3	From the Bhukhimata rapat to the centre of the river to the Narsingh Ghat.From here including the Exit road till the Harsidhi marg,Narsingh Ghat.From here including the Harsidhi marg till the Hanuman mandir.From here to via the side lanes of the exit route towards the Bhukhimata rapat till the centre of the river.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
28	Narshing Ghat Police Station	Near Lalpul Kalvart Plot no.39	Siddhashram Ghat to the Narsingh Ghat nirgam marg 04.From here parallel to the nirgam marg 04 till cement concrete marg.Excluding the cement concrete marg from the entire Narsingh Ghat till the Narsingh Ghat bridge.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
29	Harsidhi Police Station	In Front of Nutun School Plot no.117	From Jaysinhpura chauraha to the entire marg.From the back side of the Chardham mandir via the side lanes of the Harsidhi Lalpul marg till the Atiuttanand vyayamshala.From the Santoshi Mata mandir to the Harsidhi pall and ten the chaubis Khamba Mata marg till the Thana Mahakal.From Harsidhi pal till the entire Rudra sagar.From the back side of the Dharamshala via the side lanes of the exit path till the Patrakar Colony and from their including the main path till the Jaisingh chauraha.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
30	Ram ghat - I Police Station	Ram Ghat Near Sulbh Complex	From Santoshi Mata Mandir route including the marg to Harsidhi till the Naya bridge marg,Narsingh marg and entire new narsingh Ghat bridge.From here including the Sidhashram till the Pentun bridge connecting the Gurunanak	Police Station Mahakal Tehsil and Dist.

			Ghat and from their till the rapat going from the centre of the river towards the Dutt Akhara.From the Dutt Akhara including the entire rapat of Ram Ghat till the Ramghat marg.Ramanuj Kot in front of Bambai Dharamshala and the Savari marg,Shitala Mata gali.From here below the Ramnuj Kot to the Stair case of the Rajput Dharamshala.From here till the Santoshi Mata Mandir from the back side route of the Harsidhi Mata Mandir.	Ujjain
31	Ram ghat - II Police Station	Ramghat Ranoji's Chatri	From Dutt Akhada rapat via the centre of the river till the Chota pul.Including the entire Ram Ghat via the Dani Gate, Gangaur darwaja ,Hanuman Das lane no. 2,back side road of the Yog Mata mandir.From here on the side Lanes of Harsidhi pal. Ramghat marg till the Ramauj Kot.From Ramanuj Kot till the RAnoji ki Chatri via the corner of Bambaiwale ki Dharamshala.Includes the entire Choti rapat and include the Pentun Bridge.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
32	Gopal Mandir Police Station	Old Kharakua Police Station Building	From 24 Khamba Mata temple to back side of the Mahakal Thana.From Gudri including the Sawari marg via the route behind Yogmaya Mata temple till the Karthik chowk sawari marg.From here via Gangor Darwaja,Danigate,Bilotipura marg,Chakra tirth turning,juna Somwariya marg,Patti bajar marg ,KD gate,Kamri marg chauraha,Tanki chowk,Chatri chowk, Lakherwadi marg,Bhagshipura marg, Upkeshwar Mahadev topkhana marg,Daulatganj chauraha,Madar Gate till the Shakhipura marg,Gadhapulia.From Upkeshwar Mahadev via Lohe la pul till the Mahakal Ghati chauraha and from their 24 Khamba Mata Mandir.	Police Station Mahakal Jiwajiganj Kharakua Tehsil and Dist. Ujjain
33	Valmiki Dham Police Station	Valmiki Dham Parking Plot no.01	From Juna Somvaria marg on the Piplinaka chauraha till the centre of the river and from centre of the river including the Hrinmukteshvar Ghat,Valmiki Ghat, Chakratirth Ghat till the Bada pul.From the Bada pul to the Chakarathirth and Bilotipura marg Dani Gate and From Chakratirth till Juna Somwariya chauraha,Including the entire chauraha and the juna somwariya by pass marg till the Piplinaka.	Police Station Jiwajiganj Tehsil and Dist. Ujjain

34	Mahakal Mandir Police Station	Ground Near Saraswati School	From the path behind Mahankal Dharmshala till the bada Ganesh and from the back side of the Bada Ganeshtill the 24 Khamba Mata mandir.From here to the Kot Mohalla chauraha Begam bag,Below the Hariphatak over bridge.From here via the Begam bag colony to the Patrakar Colony and from Patrakar colony to exit marg behind Garib Nawaj colony to the marg behind the Mahakal Dharamshala parallel to Rudrasagar.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
35	Nagziri Police Station	Lalpur Road	From raw way leading to the University on MR 10 to Pipe fractory chauraha. Including the entire Pipe factory chauraha to the Datana Matana Air Strip Dewas road.The Parking infront of Datana Matana Air Strip Chandesara Checking by,Lalpur satellite town up to Akshat School outer ring road. All the road starting from the outer ring road which converge at Vikram nagar railway Station. From the road leading to the Kshipra Vihar Soyabean Plant to Central School road.	Police Station Narwar , Madhav nagar Tehsil and Dist. Ujjain
36	Vikramnagar Police Station	Near Vikram nagar Railway Station	From Vikram Nagar railway station up to the crude way to MR 10 university.From here entire the University campus up to Dewas road . From Kothi marg on Dewas road to Tiraha infront of Kothi.From new Court building to MR-10 road.From MR-10 to Maksi road.From Mr 10 through railway crossing up to vikram nagar railway Station,Udayan marg.	Police Station Madhav nagar Tehsil and Dist. Ujjain
37	Bharatpuri Police Station	Kendriya Sahakari Bank Tiraha	Pipe factory Chauraha and Dewas road Teen batti Chauraha (excluding pipe factory Chauraha & Teen batti Chauraha) . Circuit House Tiraha up to Tara Mandal chauraha.From Mahananada turning to Birla Hospital. From Mahashweta nagar Tiraha to the road leading to the Traffic Thana including the ISKCON temple. From Bharatpuri to MR 2 Traffic Thana.The entire road from Mungi chauraha to Muninagar chauraha.From Muni nagar chauraha to Udayan marg vikram nagar railway station.All the parking places situated in PPT collage,Science Collage,UPS School and Abhinandan Parisar are	Police Station Madhav nagar Tehsil and Dist. Ujjain

			included.	
38	Panwasa Police Station	Panwasa satellite town	From Maksi road Piplia khal to Patpala, to Vijayaganj Mandi. All the satellite town, checking - by and the flag station Panwasa. From Shree synthetics crossroads to Pingaleshwar. From Pingleshwar railway station to outer ring road up to Tarana road. From here on Tarana road through Hakkanipura to Mandi Tiraha. From Pingleswar through Madhopura upto PanchKroshi marg MR-5. From outer ring road Shree Synthetics chauraha to Akshat School. The road from Shankarpur to Karondiya including the checking by Dhatrawada, Hakkanipura pond and Undasa pond.	Police Station Chimanganj Tehsil and Dist. Ujjain
39	Zero Point Police Station	Near Bridge	From below the Chamunda Bridge to Piliya Khal Maksi road. From below Maksi road over bridge to MR 5 railway over bridge. From Gopalpura to the road leading up to Udayan marg railway station, Lakshmi nagar, Desai nagar marg, Sandipani chauraha, Shahid park, tower up to Chamunda bridge. From here to Grand Hotel, Priyadarshani chauraha. From here to Durga Plaza Dewas road. From CP shah to Pridarshani chauraha tower and entire the Freeganj area up to Sethinagar building. From Control room to Officer mess T-junction. Including Jaal School parking, Dashera maidan parking and Pandyakhedi parking.	Dewas Police Station Gate, Madhav nagar, Chimanganj Tehsil and Dist. Ujjain
40	Chamunda Mata Police Station	Samajik Nyay Parisar	From Chamunda Mata over Bridge along side the railway track through Shankhyaraje Dharamshala up to the entire Dewas gate bus stan. From Dewas gate chauraha through railway station road, indore gate, Gadha pulia up to Hariphatak over bridge. From Indore gate to Daulat ganj chauraha and from here to Dewas gate through Malipura. Dugdh talai parking and the are outside railway station. From Dewas gate Square Indira nagar Tiraha to Agar road. From MR 5 Patel nagar to Agar road and from Mandi T-junction to railway over bridge. From MR 5 road up to Beema Suare. From Koyla Phatak to Dhancha Bhqavan, up to Zero point bridge. Samajik Nyay campus, Naresh jining Factory, Tibetan market	Police Station Dewas Gate Neelganga, Mahakal, Chimanganj Tehsil and Dist. Ujjain

			and entire parking at Beema Square.	
41	Kshirsagar Police Station	Kshirsagar Stadium	From Ankpat Tiraha, the entire Naisadak road up to Daulatganj Square from Ankpat Tiraha through Lalbai – Fulbai, Kamdarpura up to the KD Gate. From here through Khajurwali masjid up to Nikas chauraha. From Bharagava tiraha to Tanki chauraha. From here to Mirza Naim Beg marg, Teliwada. From here through Biyabani Square up to Beema Square From Chatri Chowk to Satigate, Kanthal Square. From here through Nijatpura up to koyla Phatak. From Subhash marg Tiraha including Kshirsagar and all the roads surrounding it, Bhadurganj up to Malipura. From Nijatpura through Biyabani up to Nikas Chauraha.	Police Station Kotwali, Jiwajiganj, Kharakua Tehsil and Dist. Ujjain
42	Shani mandir Police Station	Shani Mandir Parking	Inform of the Meghdoot Restaurent to till Indore Ujjain road Naya pul end and from above of the Purana pul to end of the pul. From East of the purana pul road including all the farms to below of the both Bridges to the shore of the Kshipra river up to Triveni Sangam. From here on the Western Shore side of the river Crossing the Sabarakhedi entire route and the route covering the entire parking, Khan river behind Ramkrishana Ashram to the side of the Meghdoot Restaurent up to the Main road.	Police Station Nanakheda Tehsil and Dist. Ujjain
43	Tapobhumi Police Station	Near Bilkeswar Mahadev Temple	From the border of the Dist. Village Panthiplai to Meghdoot Restaurent Indore road, From Tapobhumi trijunction to outer ring road, chandmukh till Railway crossing. Pipliaraghv to entire Panckroshi marg, Karohan up to railway crossing. Checking by Chandmukh, Pipliyaraghav up to the behind of Tapobhumi. Including Tapobhumi mandir and checking by, Ninora parking and Panthiplai checking barrier.	Police Station Nanakheda Tehsil and Dist. Ujjain
44	Prashanti dham Police Station	Prashanti dham Parking	From Shani Temple Kshipra Bridge to The Mahamrityunjaya Dwar. Mahamrityunjaya Dwar covering Kshipra East Coast to Kshipra Prashantidham VIP Ghat and Samshan Ghat covering below the large bridge, small bridge to Panckroshi route up to Shakarwasa. From here the outer ring road, Triveni Vihar parking behind	Police Station Nanakheda Tehsil and Dist. Ujjain

			Garden til the Indore Ujjain main road.	
45	Engineerin g Collage S.T.	Engineer- ing Collage S.T.	From Engineering College trijunction to entire the whole Engineering collage campus up to the Pipe Factory Trijunction .Infront of the Battalion gate to Maharishi Dalgarni route outer ring road.	Police Station Nanakheda Tehsil and Dist. Ujjain
46	Mitra Nagar Police Station	Nanakhe- da Stadium	Covering the main road Mahamrityunjaya Dwar to Nanakeda Chauraha .From here to Charudutt tryjunction and up to Indore road Mahamrityunjaya Dwar. Mahamrityunjaya Dwar to till Basant Vihar vvip marg Tara mandal.From Nanakheda bus stand to Jawahar nagar Chauraha Birla hospital Chauraha. Nanakheda chauraha to MR 2 Traffic Thana trijunction. From here to the main road Birla Hospital up to vip road Tara mandal. Nanakheda chauraha to till Indore road,CP Shah chauraha,Muni nagar to main road chauraha and from Kawelu Karkhana to Shinde Nursing Home.	Police Station Nanakheda Madhav nagar, Neelganga Tehsil and Dist. Ujjain
47	Sabarakhe- di S.T.	Sabarakhe- di S.T.	From the new bridge t near Shanti palace up to the inner ring road Chintaman marg.From Sabarakhedi chauraha to Shani Temple road Sabarakhedi.From Sabarakhedi Chauraha including the entire parking area and the satellite town area and from the satellite town up to Wankankar bridge.From this side only again from the satellite town up to Badnagar New Bridge.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
48	Hari Phatak Police Station	Near Hotel Imperial	From Charudutt trijunction up to main road Hariphatak chauraha.From Hariphatak chauraha via the railway colony Shastri nagar up to the Sindhi colony trijunction,the main road and the parking area on the main road . From Hariphatak chauraha to the Loti School T-junction and From their to the Dhannalal ki Chaal then to the Babu Jagjivanram Statue infront of the Grand Hotel. From Hanuman Naka to the Neelganga Talab and From their up to Kavelu Karkhana on main road.From Hanuman Naka via the Gadha Pulia covering the enire lane above the HariPhatak Bridge towards Begum Beg till the Interpition centre,Also covering the entire lane coming down towards Hariphatak.From the side way of the Hotel Imperial to the east shore of the Kshipra	Police Station Neelganga ,Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

			river via the Wakankar Bridge.From the front of the Sheetal Guest House till the Railway track.From the Loti School trijunction to the CP Shah chauraha on main road.	
49	Gau Ghat-I Police Station	Gaughat teen shed	From Sheetal guest house including the Jaisinghpura railway crossing on Jaisinghpura main road close to the railway track.From here including the entire Gau Ghat chauraha,the centre of the GauGhat river up to the behind of the Sheetal Guest house. The Pentun Bridge of Gau Ghat,The Yantra Mahal and the Vip Ghat is include in this.	Police Station Neelganga ,Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
50	Paryatak Police Station	Near Wakankar Bridge Road	From the area under the Wankankar Bridge via the centre of the river till the Stop Dam.From the Stop dam till the HARIOM Dhaba road and from their the entire area till Sabarakhedi tiraha.From here parallel to the Wakankar bridge road till the Wankankar bridge.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain
51	Gau Ghat-South Police Station	Behind the Hari Om Dhaba Sabarakhedi S.T.	From the old Chota lal pul till the centre of the river till the stop dam.From Stop dam to till Hariom Dhaba marg.From here including the Hariom Dhaba marg till the area below the Badnagar over bridge.	Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. 05-10-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल रकबा (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनूपपुर	अनूपपुर	कदम टोला	11	0.130	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).	पयारी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
			14/1	0.072		
			15/1	0.040		
			15/2	0.040		
			74/1	0.056		
			74/2	0.056		
			74/3	0.056		
			75/1/क/1	0.012		
			75/1/क/2	0.12		
			75/1/क/3	0.012		
			75/1/क/4	0.012		
			75/2	0.040		
अनूपपुर	अनूपपुर	पयारी	25	0.078		
			26	0.052		
			योग . . .	0.699		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर जिला अनूपपुर (म. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 6 जनवरी 2016

प्र. क्र. 10-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम

के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	नरायणपुर	123	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय		हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			83	नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला		
			67/2	ग्वालियर.		
			38/1			
			38/2			
			37			
			योग . .	0.350		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	रतवाई	705	0.830	0.116	हरसी उच्चस्तरीय नहर की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			710	0.490	0.011	
			707	1.270	0.180	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			706	0.500	0.011
			723	0.400	0.052
			724	0.610	0.084
			725	0.300	0.042
			727	0.770	0.107
			790	0.190	0.052
			791	0.190	0.011
			789	0.560	0.084
			808	0.200	0.011
			807	0.090	0.062
			806	0.060	0.031
			798	0.610	0.011
			804	0.110	0.031
			805	0.120	0.062
			801	0.230	0.073
			812	0.270	0.042
			835	0.760	0.084
			838	1.070	0.052
			836	1.000	0.158
			517	0.020	0.005
			518	0.150	0.052
			519	0.370	0.100
			521	0.070	0.042
			520	0.530	0.021
			522मि-1	0.210	0.094
			522मि-2	0.210	
			522मि-3	0.220	
			522मि-4	0.220	
			523	0.050	0.021
			524	0.070	0.062
			475	1.100	0.110
			474	0.150	0.052
			1015	0.450	0.062
			1033	0.070	0.042
			1034	0.140	0.021
			1035	0.180	0.052
			1037	0.270	0.062
			1064	0.310	0.077
			1063	0.170	0.005
			1062	0.100	0.021
			1067	0.280	0.062
			1060	0.110	0.005
			1068	0.080	0.062
			1069	0.140	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1059	0.070	0.011
			1057	0.430	0.094
			1056	0.080	0.031
			1732	0.050	0.011
			1722	0.110	0.011
			1713	0.120	0.052
			1714	0.150	0.031
			1708	0.400	0.005
			1715	0.070	0.021
			1689	0.090	0.062
			1688	0.260	0.042
			1690	0.110	0.005
			1681	0.080	0.005
			1682	0.030	0.031
			1683	0.080	0.031
			1684	0.070	0.031
			1672	0.420	0.125
			1660	0.350	0.062
			1661	0.040	0.031
			1384	0.200	0.031
			1385मि-1	0.300	0.062
			1385मि-1	0.120	
			1387	0.410	0.052
			1377	0.260	0.095
			1401	0.090	0.031
			1376मि-1	0.070	0.011
			1376मि-2	0.080	
			1402	0.310	0.062
			1372	0.410	0.073
			1405	0.140	0.011
			1406	0.210	0.073
			1407	0.180	0.052
			1409	0.260	0.091
			1408	0.210	0.011
			1444	1.050	0.105
			1445	0.470	0.105
			1447	0.250	0.042
			1459	0.290	0.052
			1458	0.690	0.135
			1456	0.030	0.011
			1457	0.300	0.021
			1454मि-2	0.050	0.011
			1465	0.670	0.125
			1453	0.470	0.021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1468	0.780	0.042
			1360	0.110	0.042
			1357	0.710	0.062
			1361	0.900	0.105
			1344	0.100	0.005
			1345 मि-1	1.080	0.178
			1345 मि-2	0.100	
			1338	0.960	0.157
			1337	0.060	0.011
			1336	0.920	0.062
			1335 मि-1	0.100	0.021
			1335 मि-2	0.110	
			योग . .		<u>5.062</u>
			रतबाई		
			3 एल		
			मायनर		
			354	0.070	00.02
			353	0.420	00.01
			357 मि-1	1.590	00.16
			357 मि-2	0.790	
			357 मि-3	0.790	
			357 मि-4	0.790	
			359 मि-1	0.170	00.01
			359 मि-2	0.120	
			360	0.180	00.01
			361	0.070	00.01
			362	0.130	00.01
			364	0.210	00.04
			363	0.160	00.05
			368	0.590	00.11
			298	1.400	00.09
			372	0.320	00.01
			374	0.460	00.08
			376	0.860	00.02
			435	1.030	00.17
			423	0.560	00.10
			424	0.480	00.02
			420	0.260	00.06
			422	0.080	00.01
			418	0.660	00.02
			411	0.330	00.05
			416	1.000	00.09
			412	0.410	00.01
			414	0.630	00.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1252 मि-1	0.370	00.06
			1252 मि-2	0.370	
			1239	0.040	00.02
			1238	0.030	00.04
			1237	0.330	00.06
			1237 मि-1	0.080	00.06
			1237 मि-2	0.140	
			1234	0.070	00.01
			1265	0.330	00.09
			1266	0.260	00.07
			1267	0.210	00.03
			1268	0.580	00.08
			1222	1.770	00.23
			1220	3.140	00.07
			1221	3.950	00.25
			1285	0.180	00.06
			1283	0.084	00.04
			1289	0.310	00.01
			1288	0.100	00.01
			1295	0.840	00.03
			1294	1.050	00.10
			1295 मि-1	0.940	00.20
			1293 मि-2	0.930	
			1291	0.830	00.06
			1304	0.370	00.08
			1305	0.220	00.03
			योग . .		<u>2.920</u>
			1 आर		
			मायनर		
			ग्राम-		
			रतबाई		
			761/1	0.190	00.09
			761/2	1.440	
			762	0.200	00.04
			2424	0.310	00.04
			764	0.080	00.01
			2422	0.290	00.06
			2423	0.360	00.10
			2427	0.480	00.02
			2428	0.050	00.01
			2429	0.610	00.07
			2430	0.470	00.06
			2432	0.360	00.05
			2433	0.660	00.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2434/1	1.520	00.11
			2434/2	0.420	
			2442		00.04
			2441	0.370	00.05
			2440	0.370	00.03
			2349	0.700	00.04
			2317	2.410	00.09
			2315	0.510	00.02
			2318	1.250	00.16
			2304	1.070	00.06
			2302	3.420	00.15
			2278	0.490	00.01
			2279	1.180	00.04
			2300	0.100	00.01
			2299	0.520	00.10
			1945	1.000	00.11
			1944	2.280	00.08
			1946	2.600	00.12
			1955	0.930	00.09
			1954मि-1	0.080	00.12
			1954मि-2	0.530	
			1962	0.510	00.12
			1961	0.490	00.08
			1583	0.810	00.15
			1605	1.480	00.24
			1607	0.840	00.08
			1555	0.031	00.17
			1614	1.220	00.10
			1613	0.810	00.10
			1616मि-1	0.360	00.22
			1616मि-2	0.490	
			1615मि-1	0.200	00.04
			1615मि-2	0.630	
			1475	0.750	00.10
			योग ..		3.430
			कुल ..		11.412

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 22 जनवरी 2016

प्र. क्र. 22-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के

अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का नाम		
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्र. कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	
ग्वालियर	ग्वालियर	मानपुरा	158	1.370	0.410	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च-स्तरीय नहर संभाग क्र. 2	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			163	0.620	0.180	डबरा जिला ग्वालियर.	
			80	0.710	0.010		
			88	0.650	0.130		
			157	1.940	0.340		
			160	1.120	0.090		
			161	0.960	0.390		
			162	0.450	0.190		
			184	0.180	0.050		
			89	0.630	0.350		
			91	0.080	0.020		
			92	0.360	0.140		
			93	0.310	0.160		
			95	0.730	0.220		
			90	0.490	0.020		
			182	0.490	0.070		
			183	0.380	0.140		
164	1.460	0.020					
147	1.280	0.020					
योग . .			2.950				

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी

भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	रिछारीखुर्द	09	0.200	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
			योग . .	<u>0.200</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	चीनोर	दुबहाटांका	1863	0.140	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-12 नहर के निर्माण हेतु.
			1864	0.036		
			योग . .	<u>0.176</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी

भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनोर	बेरनी	278 0.166	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.166</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनोर	मेहगांव-2	950 0.220	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.220</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 जनवरी 2016

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 265-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बिकरा	10.652	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर, म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 जनवरी 2016

प्रकरण क्रमांक 051-अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	उमरिया डूडी	निजी भूमि रकबा 46.78 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.60 है. कुल रकबा 49.38 है.	कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई	उमरिया डूडी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2016

प्र. क्र. 054-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	धरवारा	निजी भूमि रकबा 10.770 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.877 है. कुल रकबा 11.647 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरी गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 056-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	कचनारा	निजी भूमि रकबा 4.789 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.311 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरीं गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 5.100 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 057-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	बधौरा	निजी भूमि रकबा 3.157 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.871 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरीं गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 4.028 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	मटेवरा	निजी भूमि रकबा 4.849 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.287 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	टिरीं गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 5.136 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 जनवरी 2016

प्रकरण क्रमांक **227/अ-82** वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - पवई
 (ग) ग्राम - करही, प.ह.नं. 51
 (घ) क्षेत्रफल - **8.81** हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	1029 ✓	0.26	निजी भूमि
2	1028 ✓	0.15	निजी भूमि
3	1027 ✓	0.02	निजी भूमि
4	1026 ✓	0.26	निजी भूमि
5	1026/1258 ✓	0.02	निजी भूमि
6	1025 ✓	0.18	निजी भूमि
7	1024 ✓	0.06	निजी भूमि

8	1023 ✓	0.17	निजी भूमि
9	1019 ✓	0.03	निजी भूमि
10	1022 ✓	0.12	निजी भूमि
11	1021 ✓	0.11	निजी भूमि
12	971 ✓	0.29	निजी भूमि
13	970/1 ✓	0.20	निजी भूमि
14	970/2 ✓	0.10	निजी भूमि
15	970/3 ✓	0.10	निजी भूमि
16	970/4 ✓	0.10	निजी भूमि
17	969/3 ✓	0.03	निजी भूमि
18	969/2 ✓	0.05	निजी भूमि
19	949 ✓	0.01	निजी भूमि
20	950 ✓	0.12	निजी भूमि
21	951/1257 ✓	0.01	निजी भूमि
22	947 ✓	0.02	निजी भूमि
23	952/1 ✓	0.16	निजी भूमि
24	952/2 ✓	0.21	निजी भूमि
25	960/1 ✓	0.01	निजी भूमि
26	960/2 ✓	0.08	निजी भूमि
27	959 ✓	0.01	निजी भूमि
28	958 ✓	0.13	निजी भूमि
29	956/1/क ✓	0.03	निजी भूमि
30	956/1/ख ✓	0.07	निजी भूमि
31	956/2 ✓	0.12	निजी भूमि
32	698 ✓	0.09	निजी भूमि
33	703 ✓	0.01	निजी भूमि
34	699 ✓	0.06	निजी भूमि
35	704 ✓	0.24	निजी भूमि
36	700 ✓	0.01	निजी भूमि
37	705 ✓	0.19	निजी भूमि
38	711 ✓	0.02	निजी भूमि
39	712 ✓	0.14	निजी भूमि
40	713 ✓	0.01	निजी भूमि
41	724 ✓	0.03	निजी भूमि
42	723 ✓	0.03	निजी भूमि
43	721 ✓	0.03	निजी भूमि
44	722 ✓	0.03	निजी भूमि
45	719 ✓	0.01	निजी भूमि

46	718 ✓	0.03	निजी भूमि
47	717 ✓	0.05	निजी भूमि
48	715 ✓	0.08	निजी भूमि
49	714 ✓	0.01	निजी भूमि
50	716 ✓	0.02	निजी भूमि
51	739 ✓	0.07	निजी भूमि
52	743 ✓	0.06	निजी भूमि
53	746 ✓	0.23	निजी भूमि
54	738 ✓	0.18	निजी भूमि
55	737 ✓	0.03	निजी भूमि
56	470 ✓	0.34	निजी भूमि
57	457 ✓	0.06	निजी भूमि
58	460/1 ✓	0.13	निजी भूमि
59	460/2 ✓	0.05	निजी भूमि
60	459/1 ✓	0.18	निजी भूमि
61	459/2 ✓	0.04	निजी भूमि
62	463 ✓	0.05	निजी भूमि
63	461 ✓	0.07	निजी भूमि
64	446 ✓	0.15	निजी भूमि
65	445 ✓	0.03	निजी भूमि
66	444/1 ✓	0.04	निजी भूमि
67	444/2 ✓	0.10	निजी भूमि
68	409 ✓	0.02	निजी भूमि
69	410 ✓	0.09	निजी भूमि
70	411 ✓	0.08	निजी भूमि
71	413 ✓	0.12	निजी भूमि
72	443 ✓	0.04	निजी भूमि
73	442 ✓	0.03	निजी भूमि
74	439/1 ✓	0.06	निजी भूमि
75	439/2/क ✓	0.06	निजी भूमि
76	448 ✓	0.05	निजी भूमि
77	441 ✓	0.02	निजी भूमि
78	414/1 ✓	0.25	निजी भूमि
79	414/3 ✓	0.08	निजी भूमि
80	414/4 ✓	0.16	निजी भूमि
81	416 ✓	0.05	निजी भूमि
82	417 ✓	0.40	निजी भूमि
83	447 ✓	0.05	निजी भूमि
84	951 ✓	0.18	निजी भूमि

85	697/1 ✓	0.10	निजी भूमि
86	697/2 ✓	0.10	निजी भूमि
87	697/3 ✓	0.10	निजी भूमि
88	697/4 ✓	0.15	निजी भूमि
89	697/5 ✓	0.15	निजी भूमि
90	458 ✓	0.02	निजी भूमि
91	394 ✓	0.01	निजी भूमि
92	744 ✓	0.04	निजी भूमि
93	741 ✓	0.01	निजी भूमि
94	702 ✓	0.03	निजी भूमि
95	408/1 ✓	0.04	निजी भूमि
96	408/2 ✓	0.04	निजी भूमि
97	725/1	0.02	निजी भूमि
98	972 ✓	0.03	निजी भूमि
99	953/1 ✓	0.04	निजी भूमि
100	953/2 ✓	0.03	निजी भूमि
101	1020 ✓	0.01	निजी भूमि
102	748 ✓	0.01	निजी भूमि
103	946 ✓	0.01	निजी भूमि
कुल रकवा निजी भूमि :-		8.81	

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक **226**/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - पवई
 (ग) ग्राम - मुरकुछू, प.ह.नं. 67
 (घ) क्षेत्रफल - 7.98 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	648 ✓	0.02	निजी भूमि
2	649 ✓	0.48	निजी भूमि
3	735 ✓	0.04	निजी भूमि
4	651 ✓	0.11	निजी भूमि

5	652 ✓	0.05	निजी भूमि
6	731 ✓	0.11	निजी भूमि
7	732/1 ✓	0.16	निजी भूमि
8	732/2 ✓	0.04	निजी भूमि
9	743 ✓	0.08	निजी भूमि
10	744 ✓	0.01	निजी भूमि
11	730 ✓	0.67	निजी भूमि
12	745 ✓	0.05	निजी भूमि
13	729/1 ✓	0.22	निजी भूमि
14	709 ✓	0.46	निजी भूमि
15	710 ✓	0.13	निजी भूमि
16	708 ✓	0.12	निजी भूमि
17	668 ✓	0.12	निजी भूमि
18	669 ✓	0.50	निजी भूमि
19	670 ✓	0.03	निजी भूमि
20	671 ✓	0.02	निजी भूमि
21	446 ✓	0.03	निजी भूमि
22	444/1 ✓	0.02	निजी भूमि
23	444/2 ✓	0.02	निजी भूमि
24	444/3 ✓	0.02	निजी भूमि
25	442 ✓	0.03	निजी भूमि
26	930/444 ✓	0.05	निजी भूमि
27	409 ✓	0.27	निजी भूमि
28	410 ✓	0.45	निजी भूमि
29	411 ✓	0.36	निजी भूमि
30	413 ✓	0.03	निजी भूमि

31	412 ✓	0.08	निजी भूमि
32	414/1 ✓	0.02	निजी भूमि
33	414/2 ✓	0.08	निजी भूमि
34	415 ✓	0.08	निजी भूमि
35	383/1 ✓	0.02	निजी भूमि
36	383/2 ✓	0.01	निजी भूमि
37	382 ✓	0.09	निजी भूमि
38	381 ✓	0.10	निजी भूमि
39	380 ✓	0.03	निजी भूमि
40	374 ✓	0.15	निजी भूमि
41	375 ✓	0.05	निजी भूमि
42	376 ✓	0.06	निजी भूमि
43	266 ✓	0.05	निजी भूमि
44	267 ✓	0.16	निजी भूमि
45	270 ✓	0.03	निजी भूमि
46	268 ✓	0.17	निजी भूमि
47	269/1 ✓	0.05	निजी भूमि
48	269/2 ✓	0.05	निजी भूमि
49	271 ✓	0.12	निजी भूमि
50	272 ✓	0.02	निजी भूमि
51	280 ✓	0.09	निजी भूमि
52	281 ✓	0.07	निजी भूमि
53	252/1 ✓	0.05	निजी भूमि
54	252/2 ✓	0.16	निजी भूमि
55	257 ✓	0.17	निजी भूमि
56	310 ✓	0.06	निजी भूमि

57	291 ✓	0.09	निजी भूमि
58	251 ✓	0.05	निजी भूमि
59	292 ✓	0.11	निजी भूमि
60	293 ✓	0.10	निजी भूमि
61	294 ✓	0.07	निजी भूमि
62	295 ✓	0.03	निजी भूमि
63	296/1 ✓	0.04	निजी भूमि
64	297/1 ✓	0.02	निजी भूमि
65	297/2 ✓	0.02	निजी भूमि
66	297/3 ✓	0.02	निजी भूमि
67	297/4 ✓	0.06	निजी भूमि
68	647/1 ✓	0.02	निजी भूमि
69	647/2 ✓	0.08	निजी भूमि
70	443/1 ✓	0.21	निजी भूमि
71	447 ✓	0.22	निजी भूमि
72	448 ✓	0.02	निजी भूमि
73	733 ✓	0.10	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	7.98 ✓	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 182/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
 (ख) तहसील — रैपुरा
 (ग) ग्राम — डोहली, प.ह.नं. 27
 (घ) क्षेत्रफल — 21.22 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	105/1 ✓	0.26	निजी भूमि
2	105/2 ✓	0.20	निजी भूमि
3	103/2 ✓	0.10	निजी भूमि
4	728 ✓	0.42	निजी भूमि

5	730 ✓	0.16	निजी भूमि
6	732/1 ✓	0.25	निजी भूमि
7	777 ✓	0.12	निजी भूमि
8	732/2 ✓	0.25	निजी भूमि
9	732/3 ✓	0.27	निजी भूमि
10	768 ✓	0.41	निजी भूमि
11	796 ✓	1.21	निजी भूमि
12	776 ✓	0.60	निजी भूमि
13	778 ✓	0.20	निजी भूमि
14	779 ✓	0.19	निजी भूमि
15	780 ✓	0.17	निजी भूमि
16	781 ✓	0.29	निजी भूमि
17	782 ✓	0.30	निजी भूमि
18	783 ✓	0.17	निजी भूमि
19	784 ✓	0.11	निजी भूमि
20	785 ✓	0.16	निजी भूमि
21	786 ✓	0.18	निजी भूमि
22	787 ✓	0.11	निजी भूमि
23	788 ✓	0.08	निजी भूमि
24	789 ✓	0.15	निजी भूमि
25	790 ✓	0.14	निजी भूमि
26	792 ✓	0.16	निजी भूमि
27	793 ✓	0.15	निजी भूमि
28	791 ✓	0.12	निजी भूमि
29	794 ✓	0.91	निजी भूमि
30	809/1 ✓	0.90	निजी भूमि

31	795 ✓	2.00	निजी भूमि
32	800 ✓	1.32	निजी भूमि
33	801 ✓	0.92	निजी भूमि
34	803/1 ✓	0.15	निजी भूमि
35	803/2 ✓	0.30	निजी भूमि
36	803/3 ✓	0.30	निजी भूमि
37	803/4 ✓	0.29	निजी भूमि
38	803/5 ✓	0.14	निजी भूमि
39	804/1 ✓	0.05	निजी भूमि
40	804/4 ✓	0.05	निजी भूमि
41	816/1 ✓	0.14	निजी भूमि
42	816/4 ✓	0.15	निजी भूमि
43	817 ✓	0.27	निजी भूमि
44	804/2 ✓	0.06	निजी भूमि
45	816/2 ✓	0.14	निजी भूमि
46	818 ✓	0.26	निजी भूमि
47	804/3 ✓	0.05	निजी भूमि
48	816/3 ✓	0.15	निजी भूमि
49	807 ✓	1.67	निजी भूमि
50	808 ✓	0.55	निजी भूमि
51	809/2 ✓	0.45	निजी भूमि
52	813 ✓	0.77	निजी भूमि
53	814 ✓	0.03	निजी भूमि
54	815 ✓	0.54	निजी भूमि
55	819/2 ✓	0.69	निजी भूमि
56	820/1 ✓	0.59	निजी भूमि
57	819/1 ✓	0.10	निजी भूमि
58	844/1क ✓	0.35	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	21.22 ✓	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 200/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - सिमरिया
 (ग) ग्राम - करिया, प.ह.नं. 23
 (घ) क्षेत्रफल - 1.99 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	3400 ✓	0.07	निजी भूमि
2	3406 ✓	0.04	निजी भूमि
3	3399 ✓	0.02	निजी भूमि
4	3397/1 ✓	0.07	निजी भूमि

5	3371/1 ✓	0.05	निजी भूमि
6	3397/2 ✓	0.06	निजी भूमि
7	3370 ✓	0.02	निजी भूमि
8	3372 ✓	0.05	निजी भूमि
9	3367 ✓	0.01	निजी भूमि
10	3365 ✓	0.02	निजी भूमि
11	3363 ✓	0.05	निजी भूमि
12	3364 ✓	0.03	निजी भूमि
13	3330 ✓	0.04	निजी भूमि
14	3313 ✓	0.01	निजी भूमि
15	3308 ✓	0.02	निजी भूमि
16	3312 ✓	0.01	निजी भूमि
17	3309 ✓	0.02	निजी भूमि
18	3301 ✓	0.02	निजी भूमि
19	3292 ✓	0.16	निजी भूमि
20	3269 ✓	0.08	निजी भूमि
21	3270 ✓	0.01	निजी भूमि
22	3271/1 ✓	0.09	निजी भूमि
23	3257 ✓	0.09	निजी भूमि
24	3252 ✓	0.02	निजी भूमि
25	3253 ✓	0.05	निजी भूमि
26	3256 ✓	0.01	निजी भूमि
27	3254 ✓	0.02	निजी भूमि

28	3218 ✓	0.08	निजी भूमि
29	3203 ✓	0.03	निजी भूमि
30	3176 ✓	0.02	निजी भूमि
31	2269 ✓	0.01	निजी भूमि
32	3177 ✓	0.05	निजी भूमि
33	3181 ✓	0.03	निजी भूमि
34	2296 ✓	0.04	निजी भूमि
35	2300 ✓	0.04	निजी भूमि
36	3180 ✓	0.05	निजी भूमि
37	2272 ✓	0.03	निजी भूमि
38	3179 ✓	0.01	निजी भूमि
39	2297 ✓	0.02	निजी भूमि
40	2271 ✓	0.02	निजी भूमि
41	3182 ✓	0.02	निजी भूमि
42	2302 ✓	0.05	निजी भूमि
43	2291 ✓	0.01	निजी भूमि
44	2290 ✓	0.04	निजी भूमि
45	2295 ✓	0.05	निजी भूमि
46	2203 ✓	0.02	निजी भूमि
47	2268 ✓	0.07	निजी भूमि
48	2201 ✓	0.06	निजी भूमि
49	2267/2 ✓	0.02	निजी भूमि
50	2265/1 क ✓	0.03	निजी भूमि
51	2265/1 ख ✓	0.05	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	1.99 ✓	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 180/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - पवई
 (ग) ग्राम - रेंहुटा, प.ह.नं. 03
 (घ) क्षेत्रफल - 1.180 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	973 ✓	0.010	निजी भूमि
2	974 ✓	0.100	निजी भूमि
3	976 ✓	0.100	निजी भूमि
4	975 ✓	0.010	निजी भूमि
5	961 ✓	0.010	निजी भूमि
6	958/1 ✓	0.040	निजी भूमि
7	958/2 ✓	0.040	निजी भूमि
8	955/1 ✓	0.050	निजी भूमि
9	956 ✓	0.050	निजी भूमि
10	950 ✓	0.070	निजी भूमि
11	949 ✓	0.010	निजी भूमि

12	951 ✓	0.080	निजी भूमि
13	954 ✓	0.020	निजी भूमि
14	952/2 ✓	0.020	निजी भूमि
15	1164 ✓	0.010	निजी भूमि
16	1096 ✓	0.020	निजी भूमि
17	1097 ✓	0.130	निजी भूमि
18	1166 ✓	0.010	निजी भूमि
19	1165 ✓	0.090	निजी भूमि
20	1100/1 ✓	0.003	निजी भूमि
21	1155/1 ✓	0.030	निजी भूमि
22	1100/2 ✓	0.003	निजी भूमि
23	1155/2 ✓	0.030	निजी भूमि
24	1100/3 ✓	0.004	निजी भूमि
25	1155/3 ✓	0.030	निजी भूमि
26	1162 ✓	0.020	निजी भूमि
27	1161 ✓	0.010	निजी भूमि
28	1160 ✓	0.160	निजी भूमि
29	1179 ✓	0.020	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	1.180 ✓	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- **हथकुरी तालाब योजना** के अन्तर्गत **नहर निर्माण कार्य** निर्माण हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 181/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
 (ख) तहसील — पवई
 (ग) ग्राम — हथकुरी, प.ह.नं. 11
 (घ) क्षेत्रफल — 6.04 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	2394 ✓	0.20	निजी भूमि
2	2395 ✓	0.20	निजी भूमि
3	2230/1 ✓	0.35	निजी भूमि
4	2292 ✓	0.21	निजी भूमि
5	1754 ✓	0.05	निजी भूमि
6	1697 ✓	0.11	निजी भूमि
7	1696 ✓	0.03	निजी भूमि
8	1695 ✓	0.05	निजी भूमि
9	2290 ✓	0.07	निजी भूमि
10	2288 ✓	0.02	निजी भूमि
11	2289 ✓	0.05	निजी भूमि

12	2299 ✓	0.07	निजी भूमि
13	2199 ✓	0.12	निजी भूमि
14	2193 ✓	0.14	निजी भूमि
15	2092 ✓	0.09	निजी भूमि
16	2128 ✓	0.12	निजी भूमि
17	2129 ✓	0.12	निजी भूमि
18	2137/2430 ✓	0.19	निजी भूमि
19	2151 ✓	0.03	निजी भूमि
20	2139 ✓	0.08	निजी भूमि
21	2039 ✓	0.03	निजी भूमि
22	2040 ✓	0.04	निजी भूमि
23	1661 ✓	0.08	निजी भूमि
24	1660 ✓	0.01	निजी भूमि
25	2041 ✓	0.03	निजी भूमि
26	2036 ✓	0.09	निजी भूमि
27	2043 ✓	0.20	निजी भूमि
28	1982/2 ✓	0.12	निजी भूमि
29	1983 ✓	0.02	निजी भूमि
30	1978 ✓	0.05	निजी भूमि
31	1979 ✓	0.07	निजी भूमि
32	1868 ✓	0.21	निजी भूमि
33	1745 ✓	0.02	निजी भूमि
34	1748 ✓	0.01	निजी भूमि
35	1749 ✓	0.17	निजी भूमि
36	1743 ✓	0.01	निजी भूमि
37	1693 ✓	0.01	निजी भूमि
38	1648 ✓	0.01	निजी भूमि
39	1694 ✓	0.21	निजी भूमि
40	1653 ✓	0.03	निजी भूमि
41	1650 ✓	0.02	निजी भूमि
42	1651 ✓	0.11	निजी भूमि
43	1652 ✓	0.06	निजी भूमि
44	1646 ✓	0.02	निजी भूमि
45	1649 ✓	0.01	निजी भूमि
46	1680 ✓	0.15	निजी भूमि
47	1679 ✓	0.01	निजी भूमि
48	1677 ✓	0.02	निजी भूमि
49	1678/1 ✓	0.01	निजी भूमि
50	1678/2 ✓	0.01	निजी भूमि
51	1668 ✓	0.17	निजी भूमि
52	1669 ✓	0.01	निजी भूमि

53	1670 ✓	0.08	निजी भूमि
54	1671 ✓	0.01	निजी भूमि
55	1672 ✓	0.01	निजी भूमि
56	1499 ✓	0.02	निजी भूमि
57	1500/1 ✓	0.06	निजी भूमि
58	1500/2 ✓	0.05	निजी भूमि
59	1498 ✓	0.01	निजी भूमि
60	1507 ✓	0.10	निजी भूमि
61	1508 ✓	0.01	निजी भूमि
62	1509 ✓	0.16	निजी भूमि
63	80 ✓	0.01	निजी भूमि
64	81/1 ✓	0.09	निजी भूमि
65	82 ✓	0.01	निजी भूमि
66	81/2 ✓	0.11	निजी भूमि
67	31/1/2 ✓	0.07	निजी भूमि
68	1977 ✓	0.16	निजी भूमि
69	31/2 ✓	0.15	निजी भूमि
70	29 ✓	0.01	निजी भूमि
71	31/1/1 ✓	0.08	निजी भूमि
72	28 ✓	0.15	निजी भूमि
73	27 ✓	0.01	निजी भूमि
74	10 ✓	0.01	निजी भूमि
75	2195 ✓	0.01	निजी भूमि
76	9 ✓	0.13	निजी भूमि
77	12 ✓	0.01	निजी भूमि
78	13 ✓	0.17	निजी भूमि
79	14 ✓	0.01	निजी भूमि
80	2132 ✓	0.01	निजी भूमि
81	1659 ✓	0.01	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	6.04 ✓	

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 191/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - शाहनगर
 (ग) ग्राम - पटना, प.ह.नं. 04
 (घ) क्षेत्रफल - 6.89 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2		4
1	647 ✓	0.13	निजी भूमि
2	649 ✓	0.05	निजी भूमि
3	650 ✓	0.24	निजी भूमि
4	651 ✓	0.07	निजी भूमि

5	1330 ✓	0.02	निजी भूमि
6	1322 ✓	0.06	निजी भूमि
7	675 ✓	0.10	निजी भूमि
8	674 ✓	0.08	निजी भूमि
9	673/1 ✓	0.14	निजी भूमि
10	503 ✓	0.01	निजी भूमि
11	504 ✓	0.02	निजी भूमि
12	670 ✓	0.04	निजी भूमि
13	671 ✓	0.18	निजी भूमि
14	672 ✓	0.01	निजी भूमि
15	502 ✓	0.06	निजी भूमि
16	501/2 ✓	0.08	निजी भूमि
17	490/1 ✓	0.01	निजी भूमि
18	490/2 ✓	0.03	निजी भूमि
19	489 ✓	0.12	निजी भूमि
20	461 ✓	0.25	निजी भूमि
21	460 ✓	0.19	निजी भूमि
22	462/2 ✓	0.02	निजी भूमि
23	459 ✓	0.02	निजी भूमि
24	465 ✓	0.03	निजी भूमि
25	432/1 ✓	0.12	निजी भूमि
26	424/2 ✓	0.13	निजी भूमि
27	423 ✓	0.06	निजी भूमि

28	335 ✓	0.02	निजी भूमि
29	422 ✓	0.05	निजी भूमि
30	410 ✓	0.02	निजी भूमि
31	337 ✓	0.02	निजी भूमि
32	336 ✓	0.02	निजी भूमि
33	372/1 ✓	0.06	निजी भूमि
34	372/2 ✓	0.08	निजी भूमि
35	372/3 ✓	0.06	निजी भूमि
36	370 ✓	0.07	निजी भूमि
37	373 ✓	0.18	निजी भूमि
38	409 ✓	0.02	निजी भूमि
39	307 ✓	0.10	निजी भूमि
40	374/3 ✓	0.02	निजी भूमि
41	374/1 ✓	0.14	निजी भूमि
42	398 ✓	0.02	निजी भूमि
43	397 ✓	0.02	निजी भूमि
44	391/2 ✓	0.08	निजी भूमि
45	390 ✓	0.16	निजी भूमि
46	387 ✓	0.08	निजी भूमि
47	385 ✓	0.08	निजी भूमि
48	384 ✓	0.01	निजी भूमि
49	218 ✓	0.10	निजी भूमि
50	216 ✓	0.02	निजी भूमि

51	749 ✓	0.06	निजी भूमि
52	751 ✓	0.12	निजी भूमि
53	760 ✓	0.08	निजी भूमि
54	758 ✓	0.04	निजी भूमि
55	759 ✓	0.10	निजी भूमि
56	762 ✓	0.02	निजी भूमि
57	770 ✓	0.02	निजी भूमि
58	771 ✓	0.06	निजी भूमि
59	782 ✓	0.03	निजी भूमि
60	772 ✓	0.03	निजी भूमि
61	773 ✓	0.02	निजी भूमि
62	774 ✓	0.02	निजी भूमि
63	776 ✓	0.02	निजी भूमि
64	780 ✓	0.05	निजी भूमि
65	781 ✓	0.01	निजी भूमि
66	779 ✓	0.03	निजी भूमि
67	775 ✓	0.02	निजी भूमि
68	826/2 ✓	0.01	निजी भूमि
69	827/2 ✓	0.02	निजी भूमि
70	828/1 ✓	0.01	निजी भूमि
71	828/2 ✓	0.12	निजी भूमि
72	829/2 ✓	0.04	निजी भूमि
73	841 ✓	0.03	निजी भूमि

74	842/1 ✓	0.16	निजी भूमि
75	843 ✓	0.02	निजी भूमि
76	822 ✓	0.02	निजी भूमि
77	820 ✓	0.10	निजी भूमि
78	821 ✓	0.03	निजी भूमि
79	846/1 ✓	0.01	निजी भूमि
80	846/2 ✓	0.02	निजी भूमि
81	819 ✓	0.04	निजी भूमि
82	817 ✓	0.04	निजी भूमि
83	847 ✓	0.04	निजी भूमि
84	848 ✓	0.05	निजी भूमि
85	849 ✓	0.03	निजी भूमि
86	850 ✓	0.03	निजी भूमि
87	815 ✓	0.04	निजी भूमि
88	335 ✓	0.20	निजी भूमि
89	334 ✓	0.02	निजी भूमि
90	333 ✓	0.16	निजी भूमि
91	332 ✓	0.06	निजी भूमि
92	341 ✓	0.05	निजी भूमि
93	331 ✓	0.07	निजी भूमि
94	330 ✓	0.08	निजी भूमि
95	342 ✓	0.02	निजी भूमि
96	329 ✓	0.07	निजी भूमि

97	328 ✓	0.08	निजी भूमि
98	325 ✓	0.05	निजी भूमि
99	326 ✓	0.07	निजी भूमि
100	327 ✓	0.01	निजी भूमि
101	305/1557 ✓	0.02	निजी भूमि
102	306/1 ✓	0.01	निजी भूमि
103	306/2 ✓	0.09	निजी भूमि
104	306/3 ✓	0.12	निजी भूमि
105	273 ✓	0.12	निजी भूमि
106	271 ✓	0.10	निजी भूमि
107	268 ✓	0.10	निजी भूमि
108	267/1 ✓	0.08	निजी भूमि
109	216 ✓	0.02	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	6.89	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवर्ड में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक **194/अ-82** वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - शाहनगर
 (ग) ग्राम - शहपुरा, प.ह.नं. 07-तिदुनी
 (घ) क्षेत्रफल - 1.29 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	387 ✓	0.01	निजी भूमि
2	388 ✓	0.05	निजी भूमि
3	398 ✓	0.05	निजी भूमि
4	399 ✓	0.07	निजी भूमि
5	400 ✓	0.03	निजी भूमि

6	402 ✓	0.05	निजी भूमि
7	403 ✓	0.02	निजी भूमि
8	404 ✓	0.01	निजी भूमि
9	405 ✓	0.03	निजी भूमि
10	406 ✓	0.01	निजी भूमि
11	407 ✓	0.01	निजी भूमि
12	408 ✓	0.06	निजी भूमि
13	409 ✓	0.01	निजी भूमि
14	581 ✓	0.02	निजी भूमि
15	712 ✓	0.01	निजी भूमि
16	713 ✓	0.01	निजी भूमि
17	390/1 ✓	0.03	निजी भूमि
18	390/2 ✓	0.03	निजी भूमि
19	391 ✓	0.03	निजी भूमि
20	392 ✓	0.01	निजी भूमि
21	418 ✓	0.01	निजी भूमि
22	420 ✓	0.01	निजी भूमि
23	421 ✓	0.05	निजी भूमि
24	510 ✓	0.10	निजी भूमि
25	517 ✓	0.04	निजी भूमि
26	518 ✓	0.05	निजी भूमि
27	519 ✓	0.04	निजी भूमि
28	521 ✓	0.05	निजी भूमि
29	524 ✓	0.08	निजी भूमि
30	577 ✓	0.06	निजी भूमि
31	582 ✓	0.01	निजी भूमि
32	507 ✓	0.09	निजी भूमि
33	711/1 ✓	0.15	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	1.29 ✓	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक 193/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - शाहनगर
 (ग) ग्राम - तिदुनी, प.ह.नं. 07
 (घ) क्षेत्रफल - 6.16 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	187 ✓	0.33	निजी भूमि
2	371 ✓	0.15	निजी भूमि
3	188/1 ✓	0.08	निजी भूमि
4	1116 ✓	0.02	निजी भूमि
5	1135 ✓	0.03	निजी भूमि

6	188/2 ✓	0.07	निजी भूमि
7	192 ✓	0.02	निजी भूमि
8	1138/1 ✓	0.02	निजी भूमि
9	186/1 ✓	0.06	निजी भूमि
10	1765 ✓	0.01	निजी भूमि
11	536 ✓	0.10	निजी भूमि
12	1767 ✓	0.06	निजी भूमि
13	1768 ✓	0.03	निजी भूमि
14	1769 ✓	0.01	निजी भूमि
15	191 ✓	0.37	निजी भूमि
16	193 ✓	0.03	निजी भूमि
17	196/1 ✓	0.01	निजी भूमि
18	1136 ✓	0.01	निजी भूमि
19	1138/2 ✓	0.02	निजी भूमि
20	180/1 ✓	0.01	निजी भूमि
21	180/2 ✓	0.23	निजी भूमि
22	182/3 ✓	0.01	निजी भूमि
23	223 ✓	0.03	निजी भूमि
24	225/1 ✓	0.02	निजी भूमि
25	1143/1 ✓	0.04	निजी भूमि
26	225/2 ✓	0.15	निजी भूमि
27	547 ✓	0.01	निजी भूमि
28	1143/2 ✓	0.04	निजी भूमि
29	1144 ✓	0.05	निजी भूमि
30	1764/1 ✓	0.01	निजी भूमि
31	231 ✓	0.05	निजी भूमि

32	229/1/3 ✓	0.10	निजी भूमि
33	229/1/1 ✓	0.01	निजी भूमि
34	229/1/2 ✓	0.01	निजी भूमि
35	229/2 ✓	0.12	निजी भूमि
36	237 ✓	0.06	निजी भूमि
37	340 ✓	0.06	निजी भूमि
38	352 ✓	0.07	निजी भूमि
39	350 ✓	0.07	निजी भूमि
40	355 ✓	0.02	निजी भूमि
41	356/1 ✓	0.04	निजी भूमि
42	361 ✓	0.04	निजी भूमि
43	362 ✓	0.06	निजी भूमि
44	363 ✓	0.01	निजी भूमि
45	370 ✓	0.01	निजी भूमि
46	372 ✓	0.05	निजी भूमि
47	599 ✓	0.07	निजी भूमि
48	600 ✓	0.01	निजी भूमि
49	594 ✓	0.05	निजी भूमि
50	593/1 ✓	0.06	निजी भूमि
51	593/2 ✓	0.09	निजी भूमि
52	589 ✓	0.12	निजी भूमि
53	588 ✓	0.02	निजी भूमि
54	548 ✓	0.04	निजी भूमि
55	546/1 ✓	0.06	निजी भूमि
56	1112/2 ✓	0.01	निजी भूमि
57	546/2 ✓	0.02	निजी भूमि

58	546/3 ✓	0.08	निजी भूमि
59	1111 ✓	0.01	निजी भूमि
60	1113 ✓	0.03	निजी भूमि
61	1114 ✓	0.05	निजी भूमि
62	1115 ✓	0.01	निजी भूमि
63	1140/3 ✓	0.01	निजी भूमि
64	1154 ✓	0.01	निजी भूमि
65	1457 ✓	0.01	निजी भूमि
66	914 ✓	0.05	निजी भूमि
67	915 ✓	0.04	निजी भूमि
68	1153 ✓	0.05	निजी भूमि
69	1207 ✓	0.06	निजी भूमि
70	1224 ✓	0.01	निजी भूमि
71	1202 ✓	0.05	निजी भूमि
72	1203 ✓	0.04	निजी भूमि
73	1201 ✓	0.02	निजी भूमि
74	1205 ✓	0.01	निजी भूमि
75	1204 ✓	0.01	निजी भूमि
76	1206 ✓	0.06	निजी भूमि
77	1458 ✓	0.10	निजी भूमि
78	1459 ✓	0.01	निजी भूमि
79	1461 ✓	0.03	निजी भूमि
80	1465/1 ✓	0.06	निजी भूमि
81	1464 ✓	0.01	निजी भूमि
82	1465/2 ✓	0.04	निजी भूमि
83	1467 ✓	0.01	निजी भूमि

84	1676 ✓	0.22	निजी भूमि
85	2345/1688 ✓	0.01	निजी भूमि
86	2346/1688 ✓	0.04	निजी भूमि
87	1695 ✓	0.11	निजी भूमि
88	2077 ✓	0.01	निजी भूमि
89	2078 ✓	0.01	निजी भूमि
90	2347/1688 ✓	0.01	निजी भूमि
91	1871 ✓	0.02	निजी भूमि
92	1873 ✓	0.02	निजी भूमि
93	1874 ✓	0.01	निजी भूमि
94	2347/1668 ✓	0.04	निजी भूमि
95	1712 ✓	0.07	निजी भूमि
96	2349/1688 ✓	0.04	निजी भूमि
97	1693 ✓	0.07	निजी भूमि
98	2350/1688 ✓	0.04	निजी भूमि
99	1692 ✓	0.07	निजी भूमि
100	1696 ✓	0.04	निजी भूमि
101	1875 ✓	0.02	निजी भूमि
102	1876 ✓	0.03	निजी भूमि
103	2076 ✓	0.01	निजी भूमि
104	1882 ✓	0.03	निजी भूमि
105	1883 ✓	0.03	निजी भूमि
106	1889 ✓	0.06	निजी भूमि
107	2068 ✓	0.02	निजी भूमि
108	2073 ✓	0.06	निजी भूमि
109	2069 ✓	0.01	निजी भूमि

110	2070 ✓	0.02	निजी भूमि
111	2074 ✓	0.02	निजी भूमि
112	2060 ✓	0.01	निजी भूमि
113	2059 ✓	0.01	निजी भूमि
114	2058 ✓	0.01	निजी भूमि
115	2057 ✓	0.02	निजी भूमि
116	2056 ✓	0.02	निजी भूमि
117	2033/1 ✓	0.04	निजी भूमि
118	2033/2 ✓	0.01	निजी भूमि
119	2034 ✓	0.01	निजी भूमि
120	2035 ✓	0.01	निजी भूमि
121	2036 ✓	0.01	निजी भूमि
122	2037 ✓	0.03	निजी भूमि
123	2041 ✓	0.02	निजी भूमि
124	1713 ✓	0.07	निजी भूमि
125	1710 ✓	0.06	निजी भूमि
126	1845 ✓	0.03	निजी भूमि
127	1841 ✓	0.01	निजी भूमि
128	1842 ✓	0.01	निजी भूमि
129	1843 ✓	0.02	निजी भूमि
130	1840 ✓	0.04	निजी भूमि
131	1846 ✓	0.01	निजी भूमि
132	1763/1 ✓	0.01	निजी भूमि
133	1759 ✓	0.03	निजी भूमि
134	1761 ✓	0.07	निजी भूमि
135	1762 ✓	0.02	निजी भूमि

प्रकरण क्रमांक 195/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - शाहनगर
 (ग) ग्राम - उमरिया डूँडी, प.ह.नं. 04
 (घ) क्षेत्रफल - 1.83 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	695/1 ✓	0.04	निजी भूमि
2	718 ✓	0.02	निजी भूमि
3	695/2 ✓	0.05	निजी भूमि
4	693 ✓	0.02	निजी भूमि
5	725 ✓	0.03	निजी भूमि

6	724 ✓	0.03	निजी भूमि
7	723 ✓	0.02	निजी भूमि
8	717 ✓	0.03	निजी भूमि
9	694 ✓	0.02	निजी भूमि
10	706 ✓	0.01	निजी भूमि
11	707 ✓	0.03	निजी भूमि
12	708 ✓	0.04	निजी भूमि
13	710 ✓	0.05	निजी भूमि
14	711 ✓	0.03	निजी भूमि
15	916 ✓	0.04	निजी भूमि
16	917 ✓	0.01	निजी भूमि
17	918 ✓	0.02	निजी भूमि
18	919 ✓	0.02	निजी भूमि
19	941 ✓	0.02	निजी भूमि
20	937 ✓	0.01	निजी भूमि
21	938 ✓	0.01	निजी भूमि
22	1073 ✓	0.05	निजी भूमि
23	939 ✓	0.02	निजी भूमि
24	940 ✓	0.03	निजी भूमि
25	1063 ✓	0.03	निजी भूमि
26	1049 ✓	0.04	निजी भूमि
27	1048 ✓	0.04	निजी भूमि
28	1064 ✓	0.04	निजी भूमि
29	1824 ✓	0.02	निजी भूमि
30	1825 ✓	0.02	निजी भूमि
31	1872 ✓	0.03	निजी भूमि

32	1878 ✓	0.01	निजी भूमि
33	1707 ✓	0.05	निजी भूमि
34	1708/2 ✓	0.08	निजी भूमि
35	1716/2/1 ✓	0.02	निजी भूमि
36	1831 ✓	0.06	निजी भूमि
37	1492 ✓	0.10	निजी भूमि
38	1708/1 ✓	0.09	निजी भूमि
39	1873 ✓	0.02	निजी भूमि
40	2003 ✓	0.05	निजी भूमि
41	2004 ✓	0.08	निजी भूमि
42	2008 ✓	0.07	निजी भूमि
43	1877 ✓	0.02	निजी भूमि
44	1876 ✓	0.04	निजी भूमि
45	1884 ✓	0.01	निजी भूमि
46	1886 ✓	0.02	निजी भूमि
47	1997 ✓	0.01	निजी भूमि
48	1911 ✓	0.03	निजी भूमि
49	1912 ✓	0.03	निजी भूमि
50	1993/1 ✓	0.03	निजी भूमि
51	1998/1 ✓	0.03	निजी भूमि
52	2009 ✓	0.04	निजी भूमि
53	1998/2 ✓	0.05	निजी भूमि
54	2007 ✓	0.02	निजी भूमि
	कुल रकवा निजी भूमि :-	1.83 ✓	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- उमरिया डूँडी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है ।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. E-202-एक-7-3-2015-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2016 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :-

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस.	6 जनवरी 2016	बुधवार
2	गुरु गोविन्दसिंह जी का जन्म दिवस.	16 जनवरी 2016	शनिवार
3	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस.	21 जनवरी 2016	गुरुवार
4	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस.	29 जनवरी 2016	शुक्रवार
5	संत रविदास जयन्ती	22 फरवरी 2016	सोमवार
6	शबरी जयंती	24 फरवरी 2016	बुधवार
7	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस.	04 मार्च 2016	शुक्रवार
8	होली (होलिका दहन)	22 मार्च 2016	मंगलवार
9	निषादराज जयन्ती/महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती.	11 अप्रैल 2016	सोमवार
10	हाटकेश्वर जयन्ती	20 अप्रैल 2016	बुधवार
11	हजरत अली का जन्म दिवस	21 अप्रैल 2016	गुरुवार
12	वल्लभाचार्य जयन्ती	03 मई 2016	मंगलवार
13	सेन जयन्ती	04 मई 2016	बुधवार
14	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	09 मई 2016	सोमवार
15	शंकराचार्य जयंती	11 मई 2016	बुधवार
16	शब-ए-बारात	23 मई 2016	सोमवार
17	छत्रसाल जयन्ती/ महाराणा प्रताप जयन्ती.	07 जून 2016	मंगलवार
18	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	09 जून 2016	गुरुवार
19	महेश जयन्ती	13 जून 2016	सोमवार
20	बड़ा महादेव पूजन	18 जून 2016	शनिवार
21	कबीर जयन्ती	20 जून 2016	सोमवार
22	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस.	24 जून 2016	शुक्रवार
23	जमात-उल-विदा	01 जुलाई 2016	शुक्रवार
24	ईल-उल-फित् (के ठीक पूर्व का दिवस).	05 जुलाई 2016	मंगलवार
25	गुरु पूर्णिमा	19 जुलाई 2016	मंगलवार
26	गोस्वामी तुलसीराम जयन्ती	10 अगस्त 2016	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)
27	पारसी नववर्ष दिवस	17 अगस्त 2016	बुधवार
28	बलराम जयन्ती	23 अगस्त 2016	मंगलवार
29	नवाखाई	08 सितम्बर 2016	गुरुवार
30	ओणम	14 सितम्बर 2016	बुधवार
31	अनंत चतुर्दशी	15 सितम्बर 2016	गुरुवार
32	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2016	शनिवार
33	गदीर-ए-खुम	19 दिसम्बर 2016	सोमवार
34	प्राणनाथ जयन्ती	29 सितम्बर 2016	गुरुवार
35	अग्रसेन जयन्ती	01 अक्टूबर 2016	शनिवार
36	करवा चौथ पर्व	19 अक्टूबर 2016	बुधवार
37	भाईदूज	01 नवम्बर 2016	मंगलवार
38	भगवान सहस्त्रबाहू जयन्ती	07 नवम्बर 2016	सोमवार
39	नामदेव जयन्ती	10 नवम्बर 2016	गुरुवार
40	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2016	मंगलवार
41	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2016	मंगलवार
42	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस.	24 नवम्बर 2016	गुरुवार
43	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती.	06 दिसम्बर 2016	मंगलवार
44	दत्तात्रय जयंती	13 दिसम्बर 2016	मंगलवार
45	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2016	शनिवार

(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. E-202-A-एक-7-3-2015-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2016 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :-

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस.	6 जनवरी 2016	बुधवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
2	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस.	21 जनवरी 2016	गुरुवार	39	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती.	06 दिसम्बर 2016	मंगलवार
3	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस.	29 जनवरी 2016	शुक्रवार	40	दत्तात्रय जयंती	13 दिसम्बर 2016	मंगलवार
4	संत रविदास जयन्ती	22 फरवरी 2016	सोमवार	41	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2016	शनिवार
5	शबरी जयंती	24 फरवरी 2016	बुधवार	(1)	प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 41 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.		
6	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस.	04 मार्च 2016	शुक्रवार	(2)	ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.		
7	होली (होलिका दहन)	22 मार्च 2016	मंगलवार	(3)	मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 41 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.		
8	निषादराज जयन्ती/महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती.	11 अप्रैल 2016	सोमवार	(4)	खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.		
9	हाटकेश्वर जयन्ती	20 अप्रैल 2016	बुधवार				
10	हजरत अली का जन्म दिवस	21 अप्रैल 2016	गुरुवार				
11	वल्लभाचार्य जयन्ती	03 मई 2016	मंगलवार				
12	सेन जयन्ती	04 मई 2016	बुधवार				
13	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	09 मई 2016	सोमवार				
14	शंकराचार्य जयंती	11 मई 2016	बुधवार				
15	शब-ए-बारात	23 मई 2016	सोमवार				
16	छत्रसाल जयन्ती/ महाराणा प्रताप जयन्ती.	07 जून 2016	मंगलवार				
17	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	09 जून 2016	गुरुवार				
18	महेश जयन्ती	13 जून 2016	सोमवार				
19	कबीर जयन्ती	20 जून 2016	सोमवार				
20	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस.	24 जून 2016	शुक्रवार				
21	जमात-उल-विदा	01 जुलाई 2016	शुक्रवार				
22	ईल-उल-फित् (के ठीक पूर्व का दिवस).	05 जुलाई 2016	मंगलवार				
23	गुरु पूर्णिमा	19 जुलाई 2016	मंगलवार				
24	गोस्वामी तुलसीराम जयन्ती	10 अगस्त 2016	बुधवार				
25	पारसी नववर्ष दिवस	17 अगस्त 2016	बुधवार				
26	बलराम जयन्ती	23 अगस्त 2016	मंगलवार				
27	नवाखाई	08 सितम्बर 2016	गुरुवार				
28	ओणम	14 सितम्बर 2016	बुधवार				
29	अनंत चतुर्दशी	15 सितम्बर 2016	गुरुवार				
30	गदीर-ए-खुम	19 सितम्बर 2016	सोमवार				
31	प्राणनाथ जयन्ती	29 सितम्बर 2016	गुरुवार				
32	अग्रसेन जयन्ती	01 अक्टूबर 2016	शनिवार				
33	करवा चौथ पर्व	19 अक्टूबर 2016	बुधवार				
34	भगवान सहस्रबाहू जयन्ती	07 नवम्बर 2016	सोमवार				
35	नामदेव जयन्ती	10 नवम्बर 2016	गुरुवार				
36	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2016	मंगलवार				
37	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2016	मंगलवार				
38	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस.	24 नवम्बर 2016	गुरुवार				

Jabalpur, the 23rd January, 2016

No. 48-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two days **Workshop on-Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000** for Principal Magistrates, Juvenile Justice Boards on **6 February 2016 & 7 February 2016** in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.

3. The participants shall report by **9.30 a. m.** on **6 February 2016** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
5. T. A. & D. A. of the participants in reimbursable only as per Government Rules.
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. **0761-2628679** or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. **09713717147** or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. **08878747939** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles. The judicial officers included in the

training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (platform No. 1 only) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A as per rules, However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p. m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.

However, accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non-availability of proper train/bus facility from their respective places of posting.

10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop, free of charge.

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. 91-गोपनीय-2016-दो-2-25-93 (भाग-4).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	सत्र खण्ड का नाम (3)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)
1	श्री अखिलेश पण्ड्या, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.	भोपाल	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से.

Jabalpur, the 30th January, 2016

No. 110-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two days **Workshop on-Claim Cases under Motor Vehicles Act and key issues relating to appeals and revisions** for Judges dealing cases under the Act on **20-02-2016 & 21-02-2016** in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.
3. The participants shall reoprt by **9.30 a. m.** on **20 February 2016** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
5. T. A. & D. A. of the participants in reimbursable only as per Government Rules.
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. **0761-2628679** or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile

No. **09713717147** or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. **08878747939** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles. The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (platform No. 1 only) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choie. In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A as per rules, However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
 9. As the Workshop is of two days duration and the programme will conclude by 5.30 p.m., the participants will not be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme. Therefore, they are directed to make their return reservations accordingly.
 10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p. m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.
- However, accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non-availability of proper train/bus facility from their respective places of posting.
11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop, free of charge.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र. D-432-दो-3-420-80-भाग-ग्यारह.—श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 208 दिवस (दो सौ आठ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

- श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार : 16-04-1983
जनरल (जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2016
- नियुक्ति दिनांक 16-04-1983 से : 03 वर्ष 10 माह
दिनांक 09-03-1987 तक : 23 दिन.
कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-03-1987 से : 28 वर्ष, 10 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 21 दिन.
कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : 03×15=45 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
- कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन
अवधि हेतु समर्पण : 1×7=07 दिन
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कुल अर्जित अवकाश : 262 दिन
समर्पण की पात्रता.
- घटाइये:—सेवा के दौरान : 14 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 240 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-01-2016 को शेष अर्जित अवकाश 208 दिन)

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. B-36-दो-2-24-2015.—श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 26 से दिनांक 28 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. B-178-दो-2-15-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 26 से दिनांक 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-180-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 26 से दिनांक 28 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेशकुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-182-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 26 से दिनांक 29 दिसम्बर 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-221-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. B-209-दो-2-19ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-206-दो-2-29-2014.—श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-208-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-210-दो-2-14-2013.—श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल का दिनांक 19 से 24 नवम्बर 2015 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 19 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. B-250-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-294-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 20 नवम्बर 2015 के अपराह्न से दिनांक 21 नवम्बर 2015 तक डेढ़ दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 20 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
3. दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2015 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-296-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बड़वानी को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-298-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बड़वानी को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-300-दो-2-39-2011.—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 16 से 21 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-340-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. A-130-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 24 से 26 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-132-दो-2-75-2015.—श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-134-दो-2-38-2010.—श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 18 से दिनांक 30 मई 2015 तक तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-136-दो-2-52-2015.—श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-138-दो-2-3-2016.—डॉ. ओ. पी. तिवारी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ वर्तमान में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-371-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का कम्यूटेड अवकाश

स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-373-दो-2-56-2015.—श्री सी. एम. उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सी. एम. उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एम. उपाध्याय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-376-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-378-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 21 से दिनांक 22 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 दिसम्बर 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-251-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 21 से दिनांक 22 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. B-293-दो-3-35-2011.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-296-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 1 से 2 जनवरी 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-298-दो-3-76-2009.—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-432-दो-2-28ए-2015.—श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. B-316-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 1 से 2 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्र. B-342-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 8 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी.(निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. A-239-दो-2-63-2015.—श्री एम. वाय. मंसूरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र. B-426-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली/सीधी को दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तैतीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता

है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली/सीधी को सिंगरौली/सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-429-दो-2-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 1 फरवरी 2016 से दिनांक 3 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-352-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 15 से 20 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 23-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (बी) 2-2014-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक) दिनांक 8 दिसम्बर 2015 एवं 30 दिसम्बर 2015 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-689-दो-2-103-2006.—श्री उल्हास बापट, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 28 दिसम्बर 2015 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 28 दिसम्बर 2015 तक इक्कीस माह की अवधि के लिये पात्रतानुसार 27 दिवस (सत्ताईस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. 30-गोपनीय-2016-चार-12-31-72-(भाग-चार-ए).—श्रीमती नेहा बंसल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश)" के स्थान पर "दिल्ली" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

क्र.32-गोपनीय-2016-चार-12-31-72-(भाग-चार-ए).—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बरेली जिला रायसेन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "रीवा" के स्थान पर "जबलपुर" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मोहित कुमार श्रीवास्तव	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	सुश्री पल्लवी	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	सुश्री मीनाक्षी शर्मा	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री सत्यम पाण्डेय	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	सुश्री प्रेरणा जैन	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सागर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

क्र. 25-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016-(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा क्रमांक 3(ए)05-2015-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 30 दिसम्बर 2015 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मोहित दीवन	जबलपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	ग्वालियर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
3	श्री राजर्षि श्रीवास्तव	सागर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. 87-गोपनीय-2016-दो-2-31-2008.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भगवती प्रसाद शर्मा, सचिव, सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	इंदौर	सागर	सागर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. 97-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री मधुसूदन मिश्रा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. सी-245-II-14-1-15-Pt. III.— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-5311-दो-14-1-15 जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015 "जिसका संबंध अनुक्रमांक 2 श्री दिनेश लोकरे, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से है" का पदोन्नति आदेश उनके द्वारा असहमति व्यक्त करने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है, उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. 1194-गोपनीय-2015-दो-3-69-2015.— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री शालिनी शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन "श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह" पत्नी श्री सुरेश पाल सिंह करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. E-486-दो-3-12-13.—श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-488-दो-3-91-2008.—श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई. टी.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 3 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई. टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (आई. टी.), के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. E-337-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर का दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. E-504-दो-2-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 जनवरी 2016 से दिनांक 12 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी. ई.) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. डी-382-तीन-6-4-81-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी/4459 दिनांक 3 अक्टूबर 2015 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न लिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. (3) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. (4) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजय कुमार द्विवेदी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.

No. D-382-III-6-4-81-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) High Court of Madhya Pradesh, by making slight amendments in its previous Notification No. B/4459 dated 3rd October, 2015 hereby appoints the following Additional Sessions Judge, Specified in Column No., 2 of the schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :—

SCHEDULE

No	Name & designation of Presiding Officer appointed as Special Judge	Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Sanjay Kumar Dwivedi, Vth Additional Sessions Judge Gwalior.	All area of Gwalior Sessions Division exluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior.	Court of Vth Additional Sessions Judge, Gwalior.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, OSD (DE).

Jabalpur, the 20th January, 2016

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-३ उपखण्ड (ii) में
प्रकाशनार्थ] भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

Endt. No. B-277-III-19-8-70-Part II-D.—Copy of notification of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) New Delhi (i):—225/21/2015-AVD-II, Dated 28-12-2015, (ii) 225-22-2015-AVD-II, Dated 28-12-2015 in respect of appointment of advocates as special Public Prosecutor to conduct the trial of cases related to VYAPAM Scam in the different Courts of Madhya Pradesh, designated for trial of VYAPAM cases, appeals, revisions and other matters connected therewith or incidental thereto issued under section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 are forwarded to:—

VIVEK SAXENA, OSD (DE).

सा. आ. . . . केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए व्यापम मामलों के विचारण के लिए नामित
मध्यप्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में व्यापम घोटाले से संबंधित
मामलों के विचारण का संचालन तथा उन मामलों से उत्पन्न प्रासंगिक

अन्य मामलों में अपील, पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित बारह अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है:—

1. श्री अवधेश कुमार शर्मा
2. श्री बृज किशोर कुलश्रेष्ठ
3. श्री मनोज भार्गवा
4. श्री सुमन पाण्डे
5. श्री भरत भूषण शर्मा
6. श्री चंद्र प्रताप सिंह
7. श्री राम पाठक
8. श्री कौशल किशोर मिश्रा
9. श्री सौरव वर्मा
10. श्री राजकुमार बंसल
11. श्री निर्मल कुमार शर्मा
12. श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर

(फा. सं. 225/21/2015-ए, वी. डी.-II)
हस्ता/-

(मो. नदीम) अवर सचिव, भारत-सरकार.

Madhya Pradesh, designated for trial of VYAPAM cases, appeals, revisions and other matters connected therewith or incidental thereto:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| (1) | (2) |
| 1. Sh. Avdhesh Kumar Sharma | |
| 2. Sh. Brij Kishor Kulshreshta | |
| 3. Sh. Manoj Bhargava | |
| 4. Sh. Suman Pandey | |
| 5. Sh. Bharat Bhushan Sharma | |
| 6. Sh. Chandra Pratap Singh | |
| 7. Sh. Ram Pathak | |
| 8. Sh. Kaushal Kishor Mishra | |
| 9. Sh. Sourabh Verma | |
| 10. Sh. Raj Kumar Bansal | |
| 11. Sh. Nirmal Kumar Sharma | |
| 12. Sh. Raghvendra Singh Tomar | |

[F. No. 225/21/2015-AVD-II]

MD. NADEEM

Under secretary to the Government of India

New Delhi, Dated 28th December 2015

Sir,

With reference to CBI's I. D. No. 8827/Misc./VYAPAM/CBI dated 22-09-2015 on the above mentioned subject; I am directed to convey the approval of the Competent Authority for the engagement of following Twelve advocates as Special Public Prosecutors for conducting trial of cases related to VYAPAM scam in the different courts of Madhya Pradesh, designated for trial of VYAPAM cases and appeals/revisions or other matters connected therewith or incidental thereto on the general terms and condition as contained in this Department's Jetter No. 225/30/2005-AVD-II dated 20th September, 2006:—

1. Sh. Avdhesh Kumar Sharma;
2. Sh. Brij Kishor Kulshreshta
3. Sh. Manoj Bhargava
4. Sh. Suman Pandey
5. Sh. Bharat Bhushan Sharma
6. Sh. Chandra Pratap Singh

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी रिंग रोड,
नई दिल्ली-110064

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF
INDIA, PART-II, SECTION 3 Sub-Section (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
NEW DELHI

New Delhi, Dated 28th December 2015

NOTIFICATION

S. O. . . . In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following twelve, Advocates as Special Public Prosecutors to conduct the trial of cases related to VYAPAM scam in the different Courts of

7. Sh. Ram Pathak
8. Sh. Kaushal Kishor Mishra
9. Sh. Sourabh Verma
10. Sh.Raj Kumar Bansal
11. Sh. Nirmal Kumar Sharma
12. Sh. Raghvendra Singh Tomar

2. The expenditure involved should be met from "2055-Police (Major Head), 00.101-Criminal Investigation & Vigilance (Minor Head), 01-Central Bureau of Investigation, 02-Establishment, 01-02-28-Professional Services of Grant No. 73-Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions" for the year 2015-16.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs) vide their I. D. No. J-11019/6÷2015-Judl. dated 10-12-2015.

Yours faithfully,

MD. NADEEM

Under secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-३ उपखण्ड (ii) में

प्रकाशनार्थ] भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

सा. आ. . . .केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. एफ. नं. 1/5/96/XX-बी (एक)/2220/2015 दिनांक 28 जुलाई 2015 के माध्यम से अधिसूचित विचारण न्यायालय में व्यापम द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में वर्गीकृत अपराधों के मामले की जांच में अभियोजन का संचालन करने तथा उन मामलों से उत्पन्न प्रासंगिक अन्य मामलों में अपील, पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित इक्कीस अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है:—

1. श्री भुपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
2. श्री राजकुमार रमनानी

3. श्री मनोज कुमार दुबे
4. श्री आशीष. बर्गले
5. श्री चन्द्र शेखर गुर्जर
6. श्री कृष्णा कांत पराशर
7. श्री अमित मजूमदार
8. श्री राजेश गोग्ले
9. श्री अवधेष शर्मा
10. श्री रूप सिंह यादव
11. श्री राजेश त्रिवेदी
12. श्री अल्केश भार्गव
13. श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता
14. श्री दीनेन्द्र सिंह
15. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
16. श्री पंकज खरे
17. श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव
18. श्री प्रतीश जैन
19. श्री सुधीर कुमार शर्मा
20. श्री पंकज कुमार राठौर
21. श्री अमित पुरोहित

(फा. सं. 225/22/2015-ए. वी. डी.-II)

(मो. नदीम) अवर सचिव, भारत सरकार.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF
INDIA, PART-II, SECTION 3 Sub-Section (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)
NEW DELHI

New Delhi, Dated 28th December 2015

NOTIFICATION

S. O. . . .In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following Twenty-one, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting prosecution in the Trial courts, notified by the Government of "Madhya Pradesh vide Notification No. F. N. 1/5/96/XX-B(one)/2220/2015, dated the 28th July, 2015, to try the cases relating to the offences specified under section

3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 in relation to various examination. conducted by Vyapam and investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Central Bureau of Investigation, appeals, revisions and other matters connected therewith or incidental thereto:—

Pradesh, designated for trial of VYAPAM cases and appeals/revisions or other matters connected therewith or incidental thereto on the general terms and condition as contained in this Department's letter No. 225/30/2005-AVD-II dated 20th September, 2006:—

(1) (2)

1. Sh. Bhupendra Kumar Srivastava
2. Sh. RajKumar Ramnani
3. Sh. Manoj Kumar Dubey
4. Sh. Ashish Bargle
5. Sh. Chandra Shekhar Gurjar
6. Sh. Krishna Kant Parashar
7. Sh. Amit Mazumdar
8. Sh. Rajesh Gogle
9. Sh. Avadhesh Sharma
10. Sh. Roop Singh Yadav
11. Sh. Rajesh Trivedi
12. Sh. Alkesh Bhargav
13. Sh. Jitender Kumar Shukla
14. Sh. Deenendra Singh
15. Sh. Rajendra Kumar Gupta
16. Sh. Pankaj Khare
17. Sh. Alok Kumar Srivastava
18. Sh. Pratish Jain
19. Sh. Sudhir Kumar Sharma
20. Sh. Pankaj Kumar Rathore
21. Sh. Amit Purohit

1. Sh. Bhupendra Kumar Srivastava
2. Sh. RajKumar Ramnani
3. Sh. Manoj Kumar Dubey
4. Sh. Ashish Bargle
5. Sh. Chandra Shekhar Gurjar
6. Sh. Krishna Kant Parashar
7. Sh. Amit Mazumdar
8. Sh. Rajesh Gogle
9. Sh. Avadhesh Sharma
10. Sh. Roop Singh Yadav
11. Sh. Rajesh Trivedi
12. Sh. Alkesh Bhargav
13. Sh. Jitender Kumar Shukla
14. Sh. Deenendra Singh
15. Sh. Rajendra Kumar Gupta
16. Sh. Pankaj Khare
17. Sh. Alok Kumar Srivastava
18. Sh. Pratish Jain
19. Sh. Sudhir Kumar Sharma
20. Sh. Pankaj Kumar Rathore
21. Sh. Amit Purohit

[F. No. 225/22/2015-AVD-II]

MD. NADEEM

Under secretary to the Government of India

New Delhi, Dated 28th December 2015

Sir,

With reference to CBI's I. D. No. 9908/Misc./VYAPAM/CBI dated 23-10-2015 on the above mentioned subject; I am directed to convey the approval of the Competent Authority for the engagement of following Twenty-one advocates as Special Public Prosecutors for conducting trial of cases related to VYAPAM scam in the different courts of Madhya

2. The expenditure involved should be met from "2055-Police (Major Head), 00.101-Criminal Investigation & Vigilance (Minor Head), 01-Central Bureau of Investigation, 02-Establishment, 01-02-28-Professional Services of Grant No. 73-Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions" for the year 2015-16.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs) vide their I. D. No. J-11019/6-2015-Judl. dated 10-12-2015.

Yours faithfully,

MD. NADEEM

Under secretary to the Government of India